MAHECHA
PUBLICATION

Springboard ACADEMY

राजस्थान की राजव्यवस्था

RAS FOUNDATION

CLASS NOTES

Available @JAIPUR JODHPUR

www.thenoteshub.com

The Notes Hub

© All Rights Reserved with the MAHECHA PUBLICATION

Contact Us : 7300134518 - 7610010054

Syllabus

राजस्थान की राजव्यवस्था

1. राज्य सरकार 1
2. मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् 11
3. राज्य विधानमण्डल 20
4. राजस्थान उच्च न्यायानय 29
5. महाधिवक्ता 34
6. राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था 37
7. नगरीय निकाय.....49
8. जिला प्रशासन 54
9. सचिवालय व निदेशालय 81
10. आयोग 93
11. नागरिक अधिकार पत्र 126
12. विविधः महत्वपूर्ण तथ्य.....132
13. लोक नीति 176
14. राजस्थान में दल प्रणाली 180
15. राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण 182

राज्य सरकार

- राज्य विधानमण्डल
  - राज्यपाल (अनु.-153)
  - विधानपरिषद (अनुच्छेद-169)
  - विधानसभा (अनु.-170)
- कार्यपालिका
  - राज्यपाल
  - मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (अनु.-163(1))
  - सचिवालय
  - निदेशालय
- न्यायपालिका
  - उच्च न्यायालय (अनु.-214)
  - अधीनस्थ न्यायालय

राज्य विधानमण्डल - (अनुच्छेद-168)

राज्यपाल

अनुच्छेद-153 :- प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है एवं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

Note :- 7वें संविधान संशोधन - 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है।

अनुच्छेद-154 :- राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है।

अनु. 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार की सिफारिश की जाती है। → प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सलाह पर।

अनु. 156 :- कार्यकाल :- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त। सामान्यत 5 वर्ष।

त्यागपत्र :- राष्ट्रपति को।

निष्कासन :- राष्ट्रपति द्वारा।

NOTE:- राज्यपाल का अन्य राज्य में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
(इसका उल्लेख मूलसंविधान में नहीं किया गया है।)

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय :-

1. रघुकुल तिलक केस (1979) :- राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।

2. रामेश्वर प्रसाद केस (2006) :- राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

3. B.P. सिंघल बनाम भारत सरकार (2010) :- चूंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है अतः केन्द्र सरकार को जानबुझकर या मनमाने तरीके से राज्यपाल को निष्कासित नहीं करना चाहिए।
(K.G. बालाकृष्णन बेंच)

अनु. 157 :- 1. भारत का नागरिक

अर्हताएँ - 2. न्यूनतम आयु - 35 वर्ष

परम्परा :- 1. राज्यपाल को इस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जहाँ उसे नियुक्त किया जा रहा है।

अपवाद :- ① पंजाब - सरदार उज्जवल सिंह

② पं बंगाल - H.C. मुखर्जी

∴ राज्यपाल की नियुक्तिसेपूर्व राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से विमर्श करना चाहिए।

अनु. 158 :- शर्तें

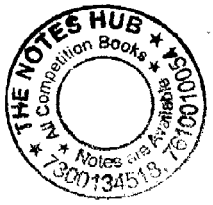

158(1) उसे MLA/MLC/MP नहीं होना चाहिए।

158(2) राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए।

158 (3) राज्यपाल सरकारी आवास, वेतन भत्तों का हकदार होगा।

158 (3)(a) यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसे वेतन उसी अनुपात में दिया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाये।

58 (5) नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जाएंगे।

अनुच्छेद 159 :- शपथ :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा।

संविधान व विधि → परिरक्षण
→ संरक्षण
→ प्रतिरक्षण की

वेतन भत्ते → 3.5 लाख रु.

→ राज्य की संचित निधि द्वारा

पेंशन → केन्द्र की संचित निधि द्वारा

वेतन भत्तों का निर्धारण :- संसद द्वारा

THE NOTES HUB
All Competition Books Notes are Available
★ 7300134518, 7610010054 ★

राज्यपाल के कार्य व भूमिका :-

1. राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ :-

(i) मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति (अनु. 164(1))

(ii) जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, म.प्र., उड़ीसा)

(iii) महाधिवक्ता की नियुक्ति (अनु. 165)

(iv) विभिन्न आयोगों में नियुक्तियाँ

Ⓐ RPSC के अध्यक्ष व सदस्य

Ⓑ राज्य निर्वाचन आयुक्त

Ⓒ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

(D) लोकायुक्त व उपलोकायुक्त

(E) राज्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति

(F) राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

(v) विभिन्न आयोगों, बोर्ड के प्रमुख के रूप में

(A) अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उदयपुर)
(महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान (अध्यक्ष), गोवा)

(B) अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड

(C) अध्यक्ष, अरावली विकास बोर्ड

(d) अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी

(e) संरक्षक, राजस्थान स्काउट गाइड

(F) कुलाधिपति, राज्य विश्वविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)

(g) अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति

2. विधायी शक्तियाँ :-

(i) विधानसभा में सत्राहूत व सत्रावसान (अनु० 174)

ii) राज्य विधानसभा का विघटन (अनु० 174)

iii) विधानमण्डल में राज्यपाल का अभिभाषण (अनु० 175)

iv) विधानपरिषद् में 1/6 सदस्यों का मनोनयन (अनु 171 (5))

v) अनु० 180 → अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पदरिक्ति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति।

vi) प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति (अनु० 180(1))

vii) सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेना (अनु 192(1)), भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से (192 (2))

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

(viii) विधेयकों से सम्बन्धी शक्तियाँ (200)

ⓐ विधेयक को अनुमति प्रदान करना

ⓑ विधेयक को विधानमण्डल को पुनर्विचार हेतु लौटाना

ⓒ विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (201)

ⓓ जेबी वीटो अधिकार (पॉकेट वीटो) का प्रयोग करना।

(ix) अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनु० 213)

वर्ष	अध्यादेश	विधेयक
2019	3	37
2020	8	37
2021	0	20
2022	0	21
2023	0	6 (अभी तक)

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134513, 76100...

3. वितीय शक्तियाँ :-

- राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से विधानसभा में बजट रखना।
- राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण।
- राज्य वित्त आयोग का गठन (243(I) व 243(Y))
- विधानसभा में धन विधेयकों को रखने की अनुमति प्रदान करना।

4 न्यायिक शक्तियाँ :-

- क्षमादान शक्तियाँ (अनु. 161)

Note :- राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति मृत्युदण्ड व कोर्ट मार्शल के मामलों में, अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

- जिला न्यायधीशों की नियुक्ति प्रदान करना। (अनु० 233)
- राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व सम्बन्धित राज्यपाल से विमर्श करता है।

राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ :- (163 (2))

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति - त्रिशंकु या गठबंधन सरकार में (164 (1))
2. विधानसभा का विघटन - (अनु. 174)
3. मंत्रिपरिषद् की बरखस्ति करना
4. विधेयकों को अनुमति प्रदान करना (अनु. 200)
5. विधेयकों को पुनर्विचार हेतु विधायिका को भेजना।
6. राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित करना (अनु० 201)
7. राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना (अनु० 356)
8. अनु० 371 के अन्तर्गत कुछ राज्यों को प्राप्त विशेष शक्तियाँ

अनु० 371	महाराष्ट्र व गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध
371 A	नागालैण्ड
371 B	आसाम
371 C	मणिपुर
371 D	आन्ध्र प्रदेश & तेलगांना
371 F	सिक्किम
371 g	मिजोरम
371 H	अरुणाचल प्रदेश
371 I	गोआ
371 J	कर्नाटक

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

1. मुख्यमंत्री के विरुद्ध FIR की अनुमति प्रदान करना।

उदा० → बिहार → A R किदवयी
कर्नाटक → हंसराज भारद्वाज

राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में :-

1. राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2. राज्यपाल का कार्यकाल → राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के प्रसाद पर्यन्त)

3. राज्यपाल द्वारा अनावश्यक रूप से विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। (अनु० २००)

4. राज्य में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना (अनु० 356)

5. राज्यपाल द्वारा केन्द्र के प्रशासनिक निर्देशों का राज्य में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

6. २०१५ का एक नियम (राज्यपाल को विदेश यात्रा से पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी।)

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है :-

1. यह एक संवैधानिक पद है। (अनु० 153)

2. राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है।

3. राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है।
4. K.G. बालाकृष्णन बेंच का 2010 का निर्णय।

राज्यपाल की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के पक्ष में तर्क :-

1. राज्यपाल केवल राज्य प्रशासन का औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होता है।
2. राज्यपाल का निर्वाचन राज्यपाल की राजनीतिक महत्वकांक्षा को प्रोत्साहित करेगा।
3. निर्वाचन से राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य अनावश्यक विवाद बढ़ेगा।
4. वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया से राज्यो पर केन्द्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है।
5. प्रेरणा :- कनाडा से
6. राज्य में अलगाववाद को हतोत्साहित करता है।

वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के विपक्ष में तर्क :-

1. यह हमारे संघीय ढांचे के विरुद्ध है।
2. स्थानीय जनता से राज्यपाल के लगाव/जुड़ाव की कमी। (क्योंकि राज्यपाल अन्य राज्य से होता है।)
3. वर्तमान प्रक्रिया के कारण राज्यपाल पर केन्द्र सरकार के एजेन्ट होने के आरोप लगाए जाते है।
4. वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के कारण राज्यपाल का पद वृद्ध

राजनीतिज्ञों हेतु चारागाह बनता जा रहा है।

5. राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप।
6. पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।

[कॉलेजियम की संरचना :- प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उप-राष्ट्रपति, सम्बन्धित राज्य का मुख्यमंत्री]

मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद्

भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को लेकर प्रावधान

अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी।

[राज्यपाल विभिन्न राज्यों में इस अनुच्छेद के अन्तर्गत जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

ex.→ झारखण्ड, म०प्र०, उड़ीसा, छत्तीसगढ़।]

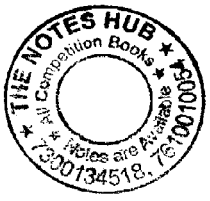

अनुच्छेद 164(1A) मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण

→ मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार → विधानसभा का 15%.

→ मंत्रिपरिषद का न्यूनतम आकार → 12 (1+11)

→ 91वें संविधान संशोधन 2003, जिसे 1 जनवरी 2004 को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया।

अनुच्छेद 164(B) :- दलबदल मामले में दोषी सदस्य मंत्री बनने हेतु अयोग्य होगा।

अनुच्छेद 164(2) :- राज्य मंत्रिपरिषद सामुहिक रुप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

[मंत्री व्यक्तिगत रुप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।

अनुच्छेद 164(3) :- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ

→ मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् 'पद व गोपनीयता' की शपथ लेते हैं।

→ शपथ का प्रारूप → 3rd अनुसूची

अनुच्छेद 164(4) :- विधानमंडल का सदस्य न होने पर 6 माह तक मंत्री रह सकता है।

Note :- ऐसा व्यक्ति जो न MLA है, न MLC है, को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बशर्ते उसे 6 माह में MLA / MLC के रूप में चुना जाना होगा।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

उदा० → श्री योगी आदित्यनाथ (UP)
श्री उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र)

अनुच्छेद 164(5) :- मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्ते -

→ वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाएगा।

[मुख्यमंत्री → 75000 रुपए
कैबिनेट मंत्री → 65000
राज्य मंत्री → 62000
उपमंत्री → 60,000]

Note :- संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
[शपथ → मुख्यमंत्री द्वारा]

मुख्यमंत्री बनने हेतु योग्यताएँ :-

1. न्यूनतम आयु २५ वर्ष
2. उसे MLA / MLC होना चाहिए।
3. जनता में लोकप्रिय छवि।
4. आलाकमान की पसन्द।
5. सत्यनिष्ठ व ईमानदार व्यक्ति।
6. चतुर राजनीतिज्ञ।

राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका :-

1. मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में :-

→ मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना तय करना
→ मंत्रियों का चयन
→ मंत्रियों में विभागों का बँटवारा
→ मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करना
→ मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी के रूप में कार्य
→ मंत्री को इस्तीफे हेतु निर्देशित करना

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7301134518, 7610010054

2. राज्यपाल के परामर्श दाता के रूप में :-

→ विभिन्न नियुक्तियों में सलाह
→ RPSC के अध्यक्ष व सदस्य
→ राज्य निर्वाचन आयुक्त।

→राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

→राज्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति

→राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

→लोकायुक्त व उप लोकायुक्त

राज्यपाल को विधायी कार्यों में सलाह

→ विधानसभा के सत्राहूत व सत्रावसान में

→ विधानसभा के विघटन में सलाह प्रदान करना (174)

→ राज्यपाल को अध्यादेश हेतु सिफारिश करना

3. राज्य के प्रशासक के रूप में :-

→राज्य में लगभग 6.5 लाख कर्मचारियों पर नियंत्रण

→अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण (क्योंकि सामान्यत: मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग स्वयं के पास रखते है।)

→राज्य प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण

→राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय लेना जैसे :- भर्ती नीति, प्रशिक्षण नीति, चेंजन नीति, स्थानान्तरण नीति।

→ मुख्यमंत्री विभिन्न आयोगों, परिषदों, बोर्ड का अध्यक्ष या मुखिया भी होता है जो निम्न प्रकार है :-

(i) राज्य आयोजना बोर्ड

(ii) मुख्यमंत्री सलाहाकार परिषद

(iii) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सामान्यत: मुख्यमंत्री प्रशासनिक सुधार विभाग व आयोजना विभाग को भी अपने पास रखता है।

4. संवैधानिक दायित्व :-

मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 के अन्तर्गत राज्यपाल को विभिन्न विधायी व प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करवाता है।

राज्यपाल द्वारा इच्छित सूचनाएँ भी मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

5. राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में :-

→ मुख्यमंत्री केन्द्र के विभिन्न मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते है जो निम्न प्रकार है :-

(i) नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेना

(ii) राष्ट्रीय एकता परिषद

(iii) अन्तर्राज्यीय परिषद (अनु. 263)

(iv) अन्तर्राज्यीय जल आयोग

(v) GST परिषद

(vi) कैबिनेट सचिव की बैठक

→ यह राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों व अभियानों का अनुमोदन करता है।

→ जन शिकायतों का समाधान

6. राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में :-

इस रूप में मुख्यमंत्री अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों पर मीडिया के समक्ष अपनी राय रखते है।

जैसे:→ महँगाई, बेरोजगारी, गरीबी, यूक्रेन संकट इत्यादि।

न. जनमत के निर्माता के रूप में :-

मुख्यमंत्री जनमत के निर्माता के रूप में आम आदमी की किसी मुद्दे पर राय बनाने की कोशिश करते है।

जैसे :- श्री मोहन लाल सुखाड़िया - राजस्थान में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के संस्थापक

२. श्री भैरो सिंह शेखावत :- अंत्योदय योजना (BPL हेतु)

३. श्रीमति वसुन्धरा राजे :- महिला सशक्तिकरण

४. श्री अशोक गहलोत :- प्रशासनिक मितव्ययता
└ राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों व परिवर्तनों के जनक

• मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक :-

1. मुख्यमंत्री के दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत
२. राज्य में लोकप्रिय छवि
3. आलाकमान की पसन्द
4. मीडिया के साथ सकारात्मक सम्बन्ध
5. प्रधानमंत्री व राज्यपाल के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियाँ :-

1. मंत्रिपरिषद का आकार या संख्या तय करना
२. मंत्रियों में विभागों का बँटवारा
3. मंत्रियों में समन्वय सुनिश्चित करना
4. नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना।
5. राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।

6. राज्यपाल के साथ मधुर या सौहार्द्य संबंध बनाए रखना।

मंत्रिपरिषद :-

संरचना :- 3 प्रकार के मंत्री होते है :-

1. कैबिनेट मंत्री
2. राज्य मंत्री
3. उपमंत्री

→ मंत्रिपरिषद दो सिद्धान्तो पर कार्य करती है :-

Ⓐ गोपनीयता का सिद्धान्त

Ⓑ सामुहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

मंत्रिपरिषद व मंत्रिमण्डल में अन्तर :-

मंत्रिपरिषद	मंत्रिमण्डल
(i) इसमें 3 प्रकार के मंत्री	(i) इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते है।
(ii) इसका आकार बड़ा होता है।	(ii) इसका आकार छोटा होता है।
(iii) इसमें सभी विभाग शामिल होते है।	(iii) केवल महत्वपूर्ण विभाग शामिल होते है।
(iv) सामान्यत : मासिक बैठक	(iv) साप्ताहिक बैठक
(v) मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित (91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा)	(v) आकार अनिश्चित होता है। (मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है।)

(vi) इसका प्रावधान मूल संविधान में है।

(vii) मूल संविधान में प्रावधान नहीं है। (कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात-काल के सन्दर्भ में जोड़ा गया है।)

मंत्रिपरिषद के कार्य :-

1. राज्य में नीति-निर्माण
2. राज्य में कानूनों का निर्माण एवं चलायमान कानूनों में संशोधन (अतः मंत्रिपरिषद को 'लघु विधायी समिति' भी कहते हैं।)
3. राज्य में बजट का निर्माण
4. विभिन्न नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह प्रदान करना।

   जैसे → 1. RPSC के अध्यक्ष व सदस्य

   2. राज्य निर्वाचन आयुक्त

5. राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना।
6. राज्य में कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण।
7. कार्मिक प्रशासन से सम्बन्धित नीतियों का अनुमोदन।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610071005

वर्तमान मंत्रिपरिषद :- 1 + 19 + 10

1 → मुख्यमंत्री
19 → कैबिनेट मंत्री
10 → राज्य मंत्री

→ वर्तमान मंत्रिपरिषद में कोई भी उपमंत्री नहीं है।
→ वर्तमान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी नहीं की गई है।

वर्तमान मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री :-

1. कैबिनेट मंत्री

(i) श्रीमति शकुन्तला रावत (बानसूर, अलवर)

विभाग → देवस्थान व उद्योग विभाग

(ii) श्रीमति ममता भूपेश (सिकराय, दौसा)

विभाग → महिला एवं बाल विकास, आयोजना विभाग

2. राज्य मंत्री

(i) श्रीमति जाहिदा खान (कामा, भरतपुर)

विभाग → मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग (स्वतंत्र प्रभार)

शिक्षा राज्य मंत्री

NOTE :- राजस्थान में प्रथम बार छाया मंत्रिमण्डल का गठन 13 वीं विधानसभा में श्रीमति वसुन्धरा राजे द्वारा किया गया।

NOTE-2 :- राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रथम बार मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा 4th विधानसभा में की गई।

THE NOTES HUB All Competition Books 7300134518, 7610010054

राज्य विधानमण्डल (अनु. 168)

राज्यपाल | विधानपरिषद (उच्चसदन) (अनु.-169) | विधानसभा (निम्नसदन) (अनु.-170)

भारत में विधानपरिषद - 6

1. कर्नाटक
2. उत्तरप्रदेश
3. महाराष्ट्र
4. बिहार
5. आन्ध्रप्रदेश
6. तेलंगाना

राजस्थान विधानसभा

* संरचना → 500 (अधिकतम) - 60 (न्यूनतम)

→ राजस्थान की प्रथम विधानसभा → 160 सदस्यीय
→ 1956 में अजमेर का विलय होने पर → 190 सदस्यीय (30 सदस्य-अजमेर से)
→ द्वितीय एवं तृतीय विधानसभा में सदस्य - 176
→ चतुर्थ एवं पञ्चम विधानसभा में सदस्य - 184
→ छठी विधानसभा → 200 सदस्य (1977 से)

NOTE :- 84 वें संविधान संशोधन-2001 द्वारा विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 ई. तक स्थिर रखी गई है।

विधानसभा में आरक्षण (अनुच्छेद 332) :- अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान

राजस्थान → SC → 34
ST → 25

[कुल आरक्षित सीटें → 59]

NOTE :- 1. बाँसवाड़ा → 5 विधानसभा सीटें
डूँगरपुर → 4
प्रतापगढ → 2

की सभी विधानसभा सीटें ST हेतु आरक्षित है।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

2. → अनुसूचित जाति हेतु किसी जिले में आरक्षित सर्वाधिक सीटें :-
जयपुर (3)

3. राजसमन्द (4), जैसलमेर (2) की सभी सीटें अनारक्षित हैं।

4. किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता → झोटवाड़ा (जयपुर)
- न्यूनतम पंजीकृत मतदाता → बसेड़ी (धौलपुर)

अनुच्छेद 333 :- विधानसभा में एक सीट एंग्लो इण्डियन हेतु आरक्षित की गई है।
[यह प्रावधान- 104 वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त]

कार्यकाल :- 5 वर्ष

योग्यता :- 1. भारत का नागरिक
2. न्यूनतम आयु 25 वर्ष

3. लाभ का पद धारण न करता हो।
4. अन्य योग्यताएँ जो समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाए।

<u>अयोग्यता</u> :- 1. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य चुने जाने पर।
2. MLA व MP चुने जाने पर।
3. अध्यक्ष की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर।
4. दल-बदल के मामले में (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा)

विधानसभा के पीठासीन अधिकारी :-

- <u>अध्यक्ष</u> (अनु-178)

- चुनाव :- राज्यपाल द्वारा निर्धारित तिथि पर
- कार्यकाल :- 5 वर्ष
- इस्तीफा :- उपाध्यक्ष को
- शपथ :- यह MLA के रूप में शपथ लेता है।
- हटाने का तरीका :- साधारण बहुमत द्वारा

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव :-
श्री नरोत्तम लाल जोशी (2 बार)
निरंजन देव आचार्य (1 बार)
श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (1 बार)
श्री शांतिलाल चपलोत (2 बार) (राजस्थान के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके।)

अध्यक्ष के कार्य :-

1. धन विधेयक के मामलों में निर्णय लेना।
2. दल-बदल के मामलों में निर्णय लेना।
3. यह विधानसभा की तीन समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
   - कार्य सलाहकार समिति
   - नियम समिति
   - सामान्य उद्देश्य समिति

2. उपाध्यक्ष :-

चुनाव :- अध्यक्ष द्वारा निर्धारित

कार्यकाल :- पाँच वर्ष

हटाने की प्रक्रिया :- साधारण बहुमत द्वारा

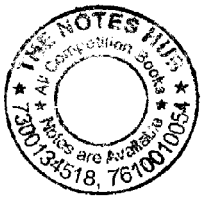

शपथ :- राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा (प्रोटेम स्पीकर)

↓

संवैधानिक प्रावधान → 188

1. प्रथम प्रोटेम स्पीकर → महारावल संग्राम सिंह
2. तीन बार प्रोटेम स्पीकर → श्री पूनम चन्द बिश्नोई
3. प्रोटेम स्पीकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके → श्री भैरों सिंह शेखावत

अधिवेशन :- 2 बार (अधिकतम 6 माह के अन्तराल में)

→ सभी सत्रों में न्यूनतम बैठक → 60

राजस्थान में तीन सत्र
- → बजट सत्र
- → मानसून सत्र
- → शीतकालीन सत्र

विधानसभा के कार्य :-

1. विधायी निर्माण :- विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है।

Note 1 :- विधानपरिषद् साधारण विधेयक को अधिकतम चार माह तक रोक सकती है। (प्रथम बार → 3 माह , द्वितीय बार → 1 माह)

Note : 2 :- संसद की भांति राज्य विधान मण्डल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

Note : 3 :- राजस्थान विधानसभा द्वारा 4 निजी विधेयक भी पारित किए जा चुके है :-
1. प्रथम विधानसभा → 2
2. दूसरी विधानसभा → 1.
3. तीसरी विधानसभा → 1

2. वित्तीय शक्तियाँ :-

→ धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
अनुदान की माँगो पर मतदान भी केवल विधानसभा में होता है।

NOTE-1 :- विधानपरिषद् धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।

NOTE-2 :- विधानपरिषद धन विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन की सिफारिश कर सकती है।

3. मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण :-

→ दोनो सदनो मे विभिन्न प्रस्ताव लाए जाते है।

जैसे :- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

→ स्थगन प्रस्ताव

→ निन्दा प्रस्ताव

NOTE :- अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा मे लाया जाता है।
[राजस्थान मे 13 बार]

→ विधानसभा के नियम-132 के तहत :-

1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया (6 बार)
2. श्री भैरो सिंह शेखावत (2 बार)
3. श्री हरिदेव जोशी (2 बार) → अन्तिम बार (1985)
4. श्री टीकाराम पालीवाल (1 बार) → प्रथम बार (1952)
5. बरकतुल्ला खान (1 बार)
6. श्री जग्गन्नाथ पहाड़िया (1 बार)

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available 7610013518, 7610010054

NOTE :- राजस्थान विधानसभा मे विश्वास प्रस्ताव

→ नियम 132(A) के तहत

→ 9 वी विधानसभा → 1990 (2 बार) → मुख्यमंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत
→ 10 वी विधानसभा → 1993 (1 बार) → श्री भैरो सिंह शेखावत
→ 13 वी विधानसभा → 2009 (1 बार) → श्री अशोक गहलोत
→ 15 वी विधानसभा → 2020 (1 बार) → श्री अशोक गहलोत

Note:- विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ :-

(1) विधानसभा की :- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

→ राष्ट्रपति के चुनाव

→ राज्य सभा सीटों के चुनाव

→ विधानपरिषद् के 1/3 सदस्य

Note:- विधानपरिषद् केवल सभापति व उपसभापति के चुनावों में भाग लेती है।

विधानसभा समितियाँ

सामान्य समितियाँ (19)

2022-23 के वितीय वर्ष में कुल 22 समितियो का गठन किया गया। (समिति जिसका गठन नही किया गया → सामान्य उद्देश्य समिति)

अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति :- विधानसभा अध्यक्ष

कार्यकाल :- 1 वर्ष

(अपवाद - महिला एवं बाल विकास समिति → 2 वर्ष)

किसी भी मंत्री को समिति का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नही किया जा सकता।

(अपवाद → कार्य सलाहकार समिति)

मंत्री → श्री महेश जोशी

श्री शान्ति धारीवाल

श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवी

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300131518, 7610010054 *

वितीय समितियाँ (4)

	कार्यकाल	समिति	सदस्य	अध्यक्ष
(i)	1 वर्ष	लोक लेखा समिति	1+15	विपक्ष का नेता (पूर्व-कार्यार्थी,
(ii)	1	प्राक्कलन समिति (A)	1+15	श्री राजेन्द्र पारीक
(iii)	1	प्राक्कलन समिति (B)	1+15	श्री दयाराम परमार
(iv)	1	सार्वजनिक उपक्रमों की समिति	1+15	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा

अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति → राज्य सरकार द्वारा

विधानसभा अध्यक्ष समिति का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है।

विधानसभा की सभी समितियाँ 1956 के नियम के तहत कार्य करती है।

समिति की संरचना → 15 सदस्य (अध्यक्ष सहित)

अपवाद → पुस्तकालय व सदाचार समिति में 10 सदस्य।

समितियाँ जिनकी अध्यक्ष महिला है।-

1. महिला एवं बाल विकास समिति (अध्यक्ष → अमिता भदेल)
2. पर्यावरण समिति (अध्यक्ष → श्रीमति मंजू देवी)

समिति के अध्यक्ष जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है :- श्री भवंरलाल शर्मा (समिति- सरकारी आश्वासन समिति)

समितियाँ जिनके अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है :- सदाचार समिति (श्री दीपेन्द्र सिंह)
नियम उपसमिति (श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल)

अन्य समितियाँ :-

OBC → श्री जितेन्द्र सिंह

SC → श्री अशोक

ST → नागराज

अल्पसंख्यक → श्री आमीन खान

पंचायती राज → राजकुमार शर्मा

राजस्थान उच्च न्यायालय

RAJASTHAN HIGH COURT

→ रियासत काल में राजस्थान में उच्च न्यायालय – जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर [कुल न्यायाधीश = 20]

→ उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में प्रावधान – अनुच्छेद-214

→ उच्च न्यायालय – राज्य पुनर्गठन अधिनियम – 1956 की धारा-49 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है।

→ राजधानी व उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना को लेकर बनायी गई समिति – बी. आर. पटेल समिति (27 मार्च 1949)
इस कमेटी के सदस्य [H.C. पुरी, H.P. सिन्हा]

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया – 21 जून 1949

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना एक अध्यादेश द्वारा की गई – राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7610010054

→ स्थापना की अधिसूचना जारी → 25 August 1949

→ स्थापना हुई → 29 August 1949

→ उद्घाटन → राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया।

→ राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थापना के समय न्यायाधीश
→ 1 (मुख्य न्यायाधीश) + 11 (न्यायाधीश)

मुख्य न्यायाधीश → न्यायमूर्ति कमलकान्त वर्मा (इलाहाबाद व उदयपुर H.C. के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)

11 न्यायाधीश

1. जोधपुर — जस्टिस नवल किशोर
 जस्टिस अमर सिंह जसोल

2. उदयपुर — जस्टिस जवान सिंह राणावत (उच्च न्यायालय के मु. न्यायाधीश)
 जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता

3. जयपुर — जस्टिस इब्राहिम
 जस्टिस कँवर लाल बापना

4. बून्दी — दुर्गाशंकर दवे (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त)

5. बीकानेर — जस्टिस त्रिलोचन दत्त

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7703034518, 7610010054

6. भरतपुर — जस्टिस K.K. शर्मा

7. कोटा — जस्टिस खेम चन्द गुप्ता

8. अलवर — आनन्द नारायण कौल

8 मई 1950 के एक आदेश से जयपुर बेंच कार्य करती रही एवं अलवर, उदयपुर, बीकानेर बेंच को समाप्त कर दिया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय, नियम 1952 के तहत कार्य करता है।

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया।

[समिति के सदस्य – 1 वी. विश्वनाथन 2. बी.के. गुप्ता]

→ जयपुर बेंच की 1976 में पुनः स्थापना की गई।

→ पुर्नस्थापना का निर्णय लिया गया – 8 दिसम्बर 1976

→ जयपुर बेंच कार्य कर रही है – 31 जनवरी 1977 से

→ राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल जजशीप → 36

36

- जोधपुर (19)
  - 18+1 → (जोधपुर महानगर)
  - (जिले)
- जयपुर (अतिरिक्त बेंच)
  - 17 जिला न्यायालय
  - [15+2] → जयपुर मेट्रो -1
    जयपुर मेट्रो - 2

जिला न्यायाधीश न्यायालय जो जिला मुख्यालय पर अवस्थित नहीं है -

1. बाड़मेर → बालोतरा
2. नागौर → मेड़ता

राजस्थान न्यायिक अकादमी – स्थापना 16 Nov. 2001

संरक्षक → मुख्य न्यायाधीश (HC)

सह-अध्यक्ष → न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

1. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश – न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह (41वें)
2. 40वें → पंकज मित्तल
3. 39 वें → न्यायमूर्ति S.S शिन्दे
4. 38 वें → न्यायमूर्ति अकील कुरैशी

उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना :-

1 + 34

- वर्तमान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश

1. न्यायमूर्ति रेखा बोराना (प्रथम महिला न्यायाधीश। राजस्थान बार एसोसिएशन से)
2. न्यायमूर्ति शुभा मेहता
3. न्यायमूर्ति नुपूर भाटी

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010054

राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार – श्री चन्द्रप्रकाश श्रीमाली

प्रथम रजिस्ट्रार जनरल → श्री माधो प्रसाद गुप्ता (रजिस्ट्रार जनरल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल) → श्री मोहनलाल राजदान

मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू

मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

→ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश
— J.N. पांचाल

→ वर्तमान उच्चतम न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय से न्यायाधीश :-

1. अजय रस्तोगी
2. दिनेश माहेश्वरी
3. बेला एम. त्रिवेदी (राज. उच्च न्यायालय से द्वितीय महिला न्यायाधीश)

प्रथम न्यायाधीश → न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा

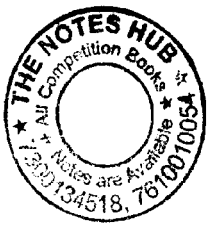

महाधिवक्ता → PRE

- महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है।
- यह राज्य सरकार के अधीन कोई रोजगार या सरकारी पद नहीं है।
- यह एक संवैधानिक पद है। (अनु. 165 में प्रावधान)
- इसका प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भी किया गया है।

सामान्य सेवा शर्तें :-

- नियुक्ति :- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर
- योग्यता :- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
- कार्यकाल :- राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त
- इस्तीफा :- राज्यपाल को
- निष्कासन :- राज्यपाल द्वारा
- वेतन-भत्ते :- राज्यपाल द्वारा निर्धारित

कार्य :- 1. राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह प्रदान करना।
2. राज्य सरकार का विभिन्न न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करना।
3. विधानसभा की बैठकों में भाग लेना (अनु० 177)

Note :- 1 महाधिवक्ता विधानसभा समिति का सदस्य नियुक्त हो सकता है।

2. महाधिवक्ता को विधानसभा के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। (अनु० 194)

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :-

* महाधिवक्ता को लेकर संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 165 (1) योग्यता (महाधिवक्ता पद हेतु)

अनुच्छेद 165 (2) महाधिवक्ता के कार्य

अनुच्छेद 165 (3) महाधिवक्ता का कार्यकाल व वेतन भत्ते

* G.C. कासलीवाल → 1957-1972 राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता
* महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल
विधानसभा सदस्य / MLA रह चुके।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

* लक्ष्मीमल सिंघवी → संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे
→ ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त
→ पद्म भूषण
→ लोकपाल व लोकायुक्त नाम दिए।
→ L.M. सिंघवी समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

3. B.P. अग्रवाल → राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में तीन कार्यकाल

4. S.M. मेहता

5. नरपतमल लोढा

} – महाधिवक्ता के रूप में दो कार्यकाल

6. M.S. सिंघवी – वर्तमान महाधिवक्ता

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

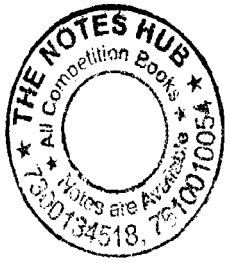

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था

स्थानीय सरकार

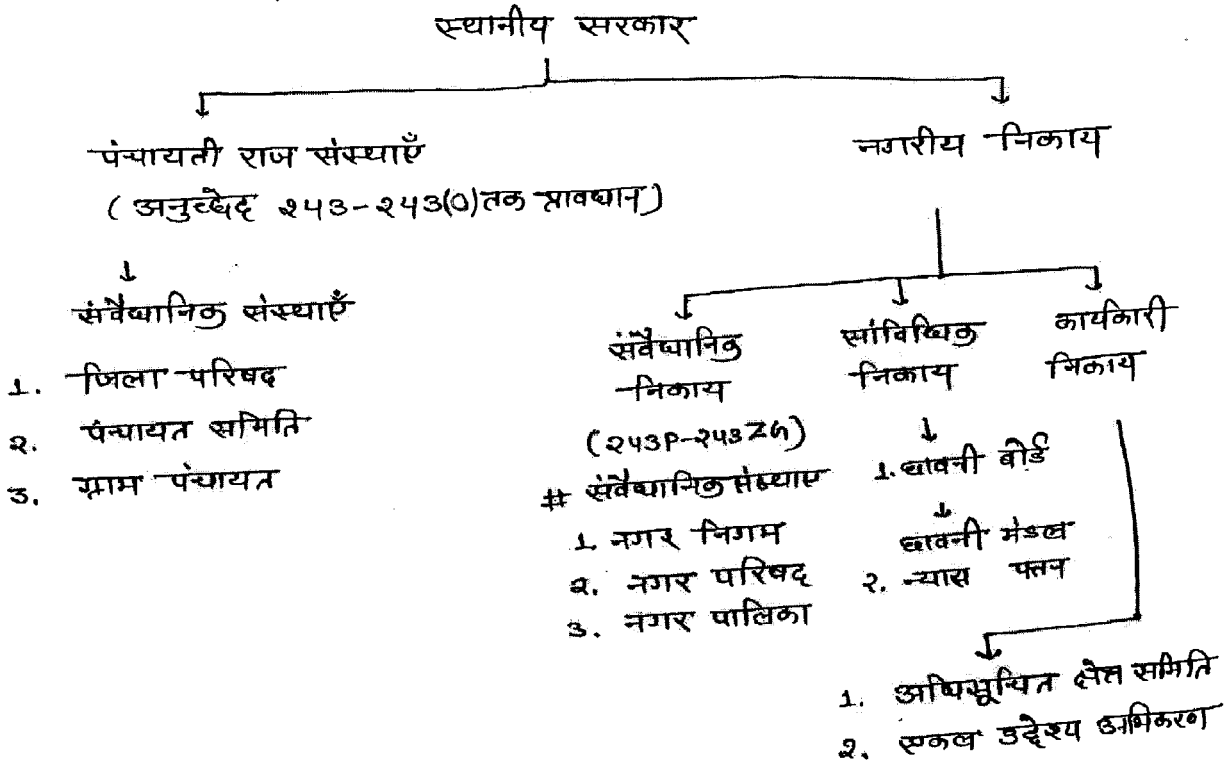

- पंचायती राज संस्थाएँ (अनुच्छेद 243-243(O) तक प्रावधान)
  - संवैधानिक संस्थाएँ
    1. जिला परिषद
    2. पंचायत समिति
    3. ग्राम पंचायत
- नगरीय निकाय
  - संवैधानिक निकाय (243P-243ZG)
    - # संवैधानिक संस्थाएं
      1. नगर निगम
      2. नगर परिषद
      3. नगर पालिका
  - सांविधिक निकाय
    1. छावनी बोर्ड → छावनी मंडल
    2. न्यास पत्तन
  - कार्यकारी निकाय
    1. अधिसूचित क्षेत्र समिति
    2. एकल उद्देश्य अभिकरण

पंचायती राज संस्थाओं का विकास :-

\# लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।

→ भारत का प्रथम नगर निगम - मद्रास (1687-88)

→ राजस्थान की प्रथम नगर पालिका - माउंट आबू (1864)

→ राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक /वैधानिक अधिकार प्रदान किए - बीकानेर (1928 के आदेश द्वारा)

→ स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया।

→ 'स्थानीय सरकार' राज्य सूची का 5th विषय है।

THE NOTES HUB
All Competition Books & Notes are Available
7300134518, 7610010001

→ प्रथम राज्य जहाँ पंचायती राज संस्थाओं का आरम्भ हुआ → राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव से (2 october 1959)

→ दूसरा राज्य जहाँ पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हुई - आन्ध्रप्रदेश (11 oct. 1959)

→ प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने के प्रयास 64 वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किए गए। (राजीव गाँधी सरकार द्वारा)

→ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार 73 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी (20 अप्रैल 1993)

→ संशोधन का क्रियान्वयन सम्पूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993

→ राजस्थान में इस कानून का क्रियान्वयन 23 अप्रैल 1994

→ प्रथम राज्य जहाँ इस कानून का क्रियान्वयन - कर्नाटक

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7210010054

संवैधानिक प्रावधान :-

→ भाग 9 जोड़ा गया → शीर्षक → पंचायत

→ 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया (29 विषय)

→ पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान (अनु. 243 - 243(O))

पंचायती राज संस्थाओं पर महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. बलवन्त राय मेहता समिति (1957)

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया।
- पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की।
  1. जिला परिषद
  2. पंचायत समिति
  3. ग्राम पंचायत

२. अशोक मेहता समिति (1977)

- पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था का समर्थन
  1. जिला परिषद
  2. मण्डल पंचायत
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार
- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए।
- राजनीतिक दलों की पंचायती राज चुनावों में भागीदारी होनी चाहिए।

3. GVK राव समिति (1985) → कार्ड समिति भी कहते हैं।

- पंचायती राज की चार स्तरीय व्यवस्था का समर्थन।
  1. राज्य परिषद
  2. जिला परिषद
  3. पंचायत समिति
  4. ग्राम पंचायत

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

- जिले में जिला विकास आयुक्त पद सृजित किया जाना चाहिए।

4. L.M. सिंघवी समिति (1986)

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। (64 वां संवि. संशो. व 73 वाँ)
- कार्यकाल → 5 वर्ष
- राज्य वित्त आयोग का गठन
- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन
- पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति

5. थुंगन समिति (1988)
6. गाडगिल समिति (1989)

** राजस्थान में पंचायती राज पर समितियाँ :-

1. हरिश्चन्द्र समिति (1963)
2. सादिक अली समिति (1964)
3. गिरधारी लाल व्यास समिति (1973)
4. हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990)
5. गुलाब चन्द कटारिया समिति (2009) → (पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय 2010 में स्थानान्तरित किए गए।)
6. V.S. व्यास समिति (2010) → ग्राम सचिवालय की स्थापना की सिफारिश

** पंचायती राज संस्थाओं पर संवैधानिक प्रावधान :-

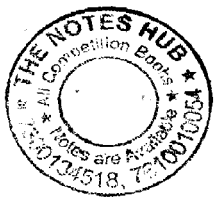

अनुच्छेद 243 :- परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243 A ग्राम सभा का प्रावधान

→ ग्राम सभा ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी होती है।

- ग्राम सभा का अध्यक्ष → सरपंच / उपसरपंच / ग्राम सभा सदस्य
- ग्राम सभा की बैठक की सूचना - सरपंच / उपसरपंच / VDO
- ग्राम की बैठकें :- 2 बैठकें अनिवार्य (15 Aug व 26 जनवरी)

राजस्थान में :- 15 August, 26 January, 1 May, 1 अक्टूबर

गणपूर्ति :- 1/10 ग्राम सभा के सदस्य

ग्राम सभा राज्य सभा की भांति एक स्थायी इकाई है।

अनुच्छेद २४३(B) - पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान

1. जिला परिषद
2. पंचायत समिति
3. ग्राम पंचायत

NOTE :- ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या २० लाख से कम है उन्हे त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने की छूट दी गई है।

अनुच्छेद २४३(C) - पंचायती राज संस्थाओं का गठन

1. ग्राम पंचायत सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाये जाएंगे।

2. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव → राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित रीति। ढंग। पद्धति द्वारा। (राजस्थान → प्रत्यक्ष)

राजस्थान (i) सरपंच → प्रत्यक्ष रूप से
(ii) उपसरपंच → अप्रत्यक्ष
(iii) प्रधान व उपप्रधान → अप्रत्यक्ष
(iv) जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख → अप्रत्यक्ष

→ पंचायती समिति में पदेन सदस्यों के प्रावधान → MLA व MP
→ जिला परिषद में पदेन सदस्यों के प्रावधान → MP, सभी MLA, जिले के सभी प्रधान।

अनुच्छेद २४३(D) :- आरक्षण के प्रावधान

* अनुसूचित जाति व जनजाति के सन्दर्भ में - जनसंख्या अनुपात में
* OBC हेतु आरक्षण → २१% (१९९१ से)

* महिलाओं हेतु आरक्षण :- 50 % (2009 में निर्णय व क्रियान्वयन 2010 में)

अनुच्छेद 243(E) :- कार्यकाल → 5 वर्ष

→ सीट रिक्त होने की स्थिति में → 6 माह में उपचुनाव (शेष बचे समय के लिए)

अनुच्छेद 243(F) :- योग्यता

→ स्थानीय मतदाता सूची में नाम
→ स्थानीय नागरिक हो
→ न्यूनतम आयु → 21 वर्ष

अयोग्यता

→ 27 नवम्बर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर
→ शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान (पंचायती राज कानून की धारा 19 के तहत - 2019 में समाप्त)
→ 2018 के पश्चात कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी पंचायती राज चुनावों हेतु पात्र
→ दिव्यांग संतान को संतान में शामिल नहीं किया जाता है।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300…518, 7…01005…

अनुच्छेद 243(G) :- पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

1. सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना।
2. इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

अनुच्छेद 243(H) :- पंचायती राज संस्थाओं के करारोपण के अधिकार

- राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित कर :-
जैसे :- बाजार कर, पथ कर, मेला कर

अनुच्छेद २५३(I):- राज्य वित्त आयोग का गठन

संरचना :- 1 + 4 (सदस्य) → राज० पंचायती राज कानून 1994 के अनुसार

अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति → राज्यपाल द्वारा

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010051

वित्त आयोग के कार्य :-

1. पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से राजस्व हस्तान्तरण के कार्य
2. पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान की सिफारिशें करना।

राजस्थान में वित्त आयोग :-

1. श्री कृष्णा कुमार गोयल
2. श्री हीरालाल देवपुरा (राज. के मुख्यमंत्री रह चुके)
3. श्री माणिकचन्द सुराणा
4. श्री B.D कल्ला (राज. के वर्तमान शिक्षा मंत्री)
5. श्रीमति ज्योति किरण (एकमात्र महिला अध्यक्ष)
6. श्री प्रद्युम्न सिंह

↓

गठन → 13 April 2021

सदस्य → 2

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(श्री अशोक लाहोटी)

अनुच्छेद २५३(J):- पंचायती राज संस्थाओं हेतु लेखा परीक्षण के प्रावधान → राज्य विधानमण्डल द्वारा तय

अनुच्छेद २५३(K):- राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान

अनुच्छेद २५३(L):- पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों मे लागू होगे।

अनुच्छेद २५३(M):- वे राज्य / क्षेत्र जहाँ पंचायती राज से सम्बन्धित प्रावधान लागू नही होगे।

1. नागालैण्ड
2. मेघालय
3. मिजोरम
4. मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र
5. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र

अनुच्छेद २५३(N):- वर्तमान विधियों व संस्थाओं का बने रहना

अनुच्छेद २५३(O):- पंचायती राज चुनावों मे न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी अनिवार्य प्रावधान :-

→ ग्राम सभा का गठन
→ त्रिस्तरीय व्यवस्था
→ न्यूनतम आयु २१ वर्ष (चुनाव लड़ने हेतु)
→ कार्यकाल → 5 वर्ष
→ अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण
→ राज्य वित्त आयोग का गठन
→ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन
→ वार्ड पंच व पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान।
→ जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134513, 7014001006

ऐच्छिक प्रावधान :-

1. OBC आरक्षण।
2. महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण।
3. पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण।
4. सभी स्तरों पर अध्यक्ष के चुनाव।

शपथ → सरपंच / उपसरपंच / वार्ड पंच → पीठासीन अधिकारी द्वारा

→ प्रधान / उपप्रधान / पंचायत समिति सदस्य → उपखण्ड अधिकारी द्वारा

→ जिला प्रमुख / उपजिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य → जिला कलेक्टर द्वारा

इस्तीफे के प्रावधान → सरपंच / उपसरपंच / वार्ड पंच → खण्ड विकास अधिकारी को

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

→ उपप्रधान व पंचायत समिति सदस्य → प्रधान को

→ प्रधान उपजिला प्रमुख व सदस्य → जिला प्रमुख को

→ जिला प्रमुख → संभागीय आयुक्त को।

पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान :-

▸ पंचायती राज कानून- 1994 की धारा-37 में प्रावधान किए गए हैं :-

- यह प्रस्ताव 1/3 (न्यूनतम) सदस्यों के समर्थन द्वारा पेश किया जाएगा।
- यह प्रस्ताव 3/4 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाएगा। (यह

2011 तक 213 था।)

- अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष व अन्तिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता है।

: पंचायती राज कानून की महत्वपूर्ण धाराएँ :-
(1994)

धारा	प्रावधान
धारा-2	वार्ड सभा
धारा-7	वार्ड सभा के कार्य
धारा-8 A	ग्राम सभा
धारा-8 E	ग्राम सभा के कार्य
धारा-9	ग्राम पंचायत
धारा-10	पंचायत समिति
धारा-11	जिला परिषद
धारा-12	ग्राम पंचायतों का गठन
धारा-13	पंचायत समिति का गठन
धारा-15	जिला परिषद का गठन
धारा-18 C	मतदान का अधिकार
धारा-19	योग्यताएँ
धारा-26	सरपंच व उपसरपंच पद का प्रावधान
धारा-32	सरपंच व उपसंरपंच के कार्य
धारा-36	इस्तीफा
धारा-37	अविश्वास प्रस्ताव

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300135518, 7710010054

धारा	प्रावधान
धारा- 38	निष्कासन व निलंबन
धारा 48	कोरम / गणपूर्ति
धारा 50	पंचायती राज संस्था के कार्य
धारा 79	एवण्ड विकास अधिकारी का पद
धारा 81	BDO के कार्य
धारा 82	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
धारा 84	CEO के कार्य
धारा 89	VDO पद का प्रावधान
धारा 90	जिला संस्थापन समिति
धारा 95	पंचायती राज संस्थाओं का विघटन
धारा 117	चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है।
धारा 118	राज्य वित्त आयोग
धारा 119/120	राज्य निर्वाचन आयोग
धारा 121	जिला आयोजन समिति

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

Note:- राजस्थान पंचायती राज कानून में कुल धाराएँ → 124

PESA (पेसा) कानून, 1996

इस कानून को दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने लागू किया। → 1995

राजस्थान में क्रियान्वयन → 30 सितम्बर 1999

राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवम्बर 2011 को राजस्थान पेसा कानून 2011 को क्रियान्वित किया गया।

पेसा कानून के अन्तर्गत आने वाले जिले :-

- डूंगरपुर
- बाँसवाड़ा → सम्पूर्ण जिले में
- प्रतापगढ़

उदयपुर → 5 पंचायत समितियों में

सिरोही → आबू रोड़ क्षेत्र

राजस्थान पेसा कानून-2011 की विशेषताएँ :-

1. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान
2. शान्ति समिति का गठन

भारत में PESA अधिनियम निम्न राज्यों में लागू है। (10 राज्य)

- राजस्थान
- गुजरात
- महाराष्ट्र
- आंध्रप्रदेश
- तेलंगाना
- ओडिशा
- झारखण्ड
- मध्यप्रदेश
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश

नगरीय निकाय

► नगरीय निकाय विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के अन्तर्गत कार्य करते है।

1. केन्द्र सरकार के मंत्रालय
   - आवासन एवं नगरीय विकास मंत्रालय
   - गृह मंत्रालय
   - रक्षा मंत्रालय

2. राज्य सरकार का विभाग
   - स्वायत शासन विभाग

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

विभिन्न नगरीय निकाय :-

1. सांविधिक निकाय
   (i) छावनी मंण्डल - इनकी स्थापना 1924 के कानून द्वारा की जाती है। (2006 में संशोधन)

   * रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य
   * अध्यक्ष → कमाण्डिंग ऑफिसर (CO)
   * कार्यकाल → 3 वर्ष
   * सदस्य - नागरिकों में से निर्वाचित + सैन्य प्रशासन से मनोनीत

राजस्थान में छावनी मण्डल → नसीराबाद (अजमेर)

(ii) **न्यास पत्तन** :- इनकी स्थापना संसदीय कानून के अन्तर्गत की जाती है।

कार्य :- 1. बन्दरगाह क्षेत्र में विकास कार्य।
2. बन्दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2. कार्यकारी आदेश द्वारा :-

1. **अधिसूचित क्षेत्र समिति** :- यह राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित होती है। (राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात्)

:- इसमें सभी सदस्य मनोनीत होते हैं।

* राजस्थान में अधिसूचित क्षेत्र समिति - पुष्कर, माउंटआबू (1993 तक)

2. **एकल उद्देश्य अभिकरण** :- इसकी स्थापना भी राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की जाती है।

उदाहरण → जयपुर विकास प्राधिकरण (1982)
जोधपुर विकास प्राधिकरण (2008)
अजमेर विकास प्राधिकरण (2012)

नगरीय निकायों की संवैधानिक स्थिति

अनुच्छेद 243(P) :- परिभाषाएँ

- महानगर क्षेत्र :- न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख
- कस्बा क्षेत्र :- न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार

– 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए।

→ जनसंख्या घनत्व = 400 प्रति वर्ग किलोमीटर

अनुच्छेद २४३(Q):- नगरीय निकायों का त्रिस्तरीय ढाँचा

1. नगर निगम (राजस्थान में 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर)
2. नगर परिषद :- न्यूनतम जनसंख्या 1 से 5 लाख के मध्य
3. नगर पालिका :-

प्रथम प्रकार :- 50 हजार से 99999 जनसंख्या

द्वितीय प्रकार :- २5 हजार से 49999 जनसंख्या

तृतीय प्रकार :- 5 हजार से 24999 जनसंख्या

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

अनुच्छेद २४३(R):- नगरीय निकायों का गठन

1. नगर निगम :- पार्षद → प्रत्यक्ष निर्वाचन
   महापौर व उप-महापौर → अप्रत्यक्ष निर्वाचन

2. नगर परिषद :- पार्षद :- प्रत्यक्ष निर्वाचन
   सभापति व उपसभापति → अप्रत्यक्ष निर्वाचन

3. नगर पालिका :- पार्षद → प्रत्यक्ष निर्वाचन
   अध्यक्ष व उपाध्यक्ष :- अप्रत्यक्ष निर्वाचन

नगरपालिका संशोधन अधिनियम २०२१ द्वारा :-

राज्य सरकार द्वारा मनोनयन :-

1. नगरपालिका → 6
2. नगरपरिषद → 8

3. नगर निगम :- 12 सदस्य

अनुच्छेद 243(S) :- वार्ड समितियों का गठन

:- न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होनी चाहिए।

अनुच्छेद 243(W) :- नगरियों निकायों के कार्य

:- सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम

:- उपर्युक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

अनुच्छेद 243(Y) :- नगरीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग

अनुच्छेद 243(Z A) :- नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 243(Z D) :- जिला आयोजना समिति का प्रावधान (राजस्थान पंचायती राज अधि० 1994 की धारा 121 मे प्रावधान)

अध्यक्ष :- जिला प्रमुख

सदस्य :- 16 + 4 + 3 + 2

- 16 → पंचायती राज संस्थाओं से
- 4 → नगरीय निकायों से
- 3 → पदेन सदस्य
  1. जिला कलेक्टर
  2. CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
  3. ACEO
- 2 → राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

उद्देश्य :- जिले मे एकीकृत विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available 7300134518, 7310010054

अनुच्छेद 243(ZE) :- महानगरीय नियोजन समिति

NOTE :- 1. राजस्थान मे नगरीय निकायों हेतु बना कानून :-

→ राजस्थान नगर पालिका कानून 2009

2. नगरीय निकायों में वापस बुलाने का अधिकार :- 2011 से

→ प्रस्ताव हेतु न्यूनतम समर्थन 1/3 सदस्यों का समर्थन

→ प्रस्ताव पारित करने हेतु 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक

→ इसका प्रयोग राजस्थान में एक बार किया जा चुका है।

उदा० → बाँरा जिले की मानरोल नगरपालिका में अशोक जैन के विरुद्ध।

3. राजस्थान में नगर निगमों का गठन :- जयपुर (1992) जोधपुर (1992) कोटा (1993)

अजमेर, बीकानेर > (2008)

उदयपुर, भरतपुर > (2014)

राजस्थान में तीन नए नगर निगम

1. जयपुर
2. कोटा
3. जोधपुर

> 2019

जिला प्रशासन

राज्य का प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन :-

राज्य
↓
सम्भाग
↓
जिला
↓
उपखण्ड
↓
तहसील
↓
उपतहसील
↓
गाँव

जिला प्रशासन की संरचना

संभागीय आयुक्त (IAS)
↓
जिला कलेक्टर (IAS)

- जिला स्तरीय अधिकारी
  - ↓ जिला आबकारी अधिकारी
  - ↓ जिला शिक्षा अधिकारी
  - ↓ जिला रसद अधिकारी
  - ↓ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर
  - ↓ SDO (उपखण्ड अधिकारी)
  - ↓ TDR (तहसीलदार)
  - ↓ नायब तहसीलदार
  - ↓ राजस्व निरीक्षक (गिरदावर)
  - ↓ पटवारी
- जिला पुलिस अधीक्षक (SP)
  - ↓ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP)
  - ↓ पुलिस उपाधिक्षक (DYSP)
  - ↓ CI
  - ↓ SI
  - ↓ ASI
  - ↓ HC. → C

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010050

जिला कलेक्टर
↓
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
↓
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
↓
मुख्य खण्ड विकास अधिकारी (BDO)
↓
अतिरिक्त विकास अधिकारी
↓
सहायक विकास अधिकारी)
↓
ग्राम विकास अधिकारी

जिला प्रशासन से अभिप्राय :- एक निश्चित क्षेत्र मे सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन कहलाता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available 7300134518, 7610010054

विशेषताएँ :-

- जिला प्रशासन राज्य व गाँवों के मध्य की कड़ी है।
- जिला प्रशासन को "लघु सरकार" भी कहा जाता है।
- जिला प्रशासन मे विभिन्न ईकाइयाँ कार्य करती है।
  जैसे – उपखण्ड, तहसील, खण्ड।

जिला प्रशासन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- जिले मे कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
- राजस्व संग्रहण, जिले मे।
- विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

5. जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया होता है।

6. सामान्यतः जिला , संसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है।

7. प्रत्येक जिले की एक सांस्कृतिक पहचान होती है। जो जिला प्रशासन को प्रभावित करती है।

जिला प्रशासन के कार्य व भूमिका :-

1. जिले में कानून व शान्ति व्यवस्था को बनाए रखना। (कर्फ्यू लगाना)
   - शान्ति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना।)

2. राजस्व कर लगाना (GST, कृषि कर, सिंचाई कर, पंजीयन शुल्क , स्टैंप ड्यूटी)

3. जिले में विकास कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना।

4. जिले में विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाना (MP , MLA , पंचायती राज व शहरी निकाय)

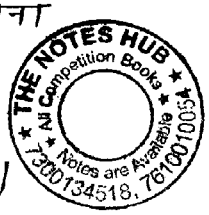

5. जिले में आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। (जैसे - सूखा , बाढ़ , टिड्डी दल आक्रमण , सुनामी)

Note :- जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।

6. जिले में स्वास्थ्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना। (उचित मूल्य की दुकानों द्वारा)

7. जिले में जनगणना, पशुगणना व B.P.L. गणना आदि को सुनिश्चित करना।

8. हथियारों के लाईसेंस जारी करना।

9. जिले में विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। [जैसे – मनोरंजन कानून, प्रेस की स्वतंत्रता कानून, PASA कानून (2006)]

सम्भागीय आयुक्त व्यवस्था

विकास :- इस व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में की गई।

- 1949 में राजस्थान में 5 जिलों को सम्भाग बनाया गया।
  1. जयपुर
  2. उदयपुर
  3. कोटा
  4. बीकानेर
  5. जोधपुर

- 1962 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

- 1987 में मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को चौथा सम्भाग बनाया गया।

→ 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का सौतवा सम्भाग या मुख्यालय बनाया गया।

नियुक्ति :- कार्मिक विभाग द्वारा वरिष्ठ IAS अधिकारी को इस पद पर नियुक्त। [DOP]

कार्यकाल :- अनिश्चित

संभागीय आयुक्त के कार्य व भूमिका :-

1. नियंत्रणकर्ता व पर्यवेक्षणकर्ता के रूप में।

(i) जिले में विभिन्न बैठकों का आयोजन करना।

(ii) जिले के विभागों व प्रशासनिक विभागों को विभिन्न निर्देश प्रदान करना।

(iii) विभिन्न सरकारी कार्यालयों का सम्भाग में निरीक्षण करना।

2. समन्वय के रूप में :-

(i) जिला प्रशासन के मध्य समन्वय।

(ii) जिला प्रशासन के विभागों के मध्य समन्वय।

(iii) जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के मध्य समन्वय।

(iv) यह राज्य सरकार व जिलों के मध्य कड़ी के रूप में भी कार्य करता है।

3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में :-

(i) जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरना।

(ii) जन शिकायतों का समाधान या निस्तारण।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010051

(iii) राजस्व कर्मचारियों के हस्तानान्तरण। (सम्भाग के अन्तर्गत)
(iv) सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों में जन सहभागिता सु-निश्चित करना।

4. विकास कार्यों में भूमिका :-

(i) विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करना।
(ii) विकास कार्यों में जन-सहभागिता को सुनिश्चित करना।

5. न्यायिक अधिकारी के रूप में सम्भागीय आयुक्त निम्न-लिखित कानूनों के अन्तर्गत सुनवाई करता है :-

(i) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (1956)
ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (1955)
iii) पंचायती राज कानून (1994)
(iv) राज० नगरपालिका कानून
(v) राज० वन कानून
(vi) राज० आबकारी कानून

6. अन्य कार्य :-

(i) सम्भागीय आयुक्त विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के केयरटेकर के रूप में कार्य करता है, जो निम्न प्रकार है :-

सम्भाग		योजना / परियोजना
(A) उदयपुर	→	जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(B) जोधपुर	→	मरु विकास कार्यक्रम
(C) बीकानेर	→	इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना
(D) अजमेर	→	बीसलपुर परियोजना
(E) कोटा	→	चम्बल कमाण्ड एरिया
(F) भरतपुर	→	विकास कार्यक्रम

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

सम्भागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में तर्क :-

1. यह राज्य सरकार के कार्यभार को कम करता है।
2. राज्य में सत्ता के प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करता है।
3. जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय को सम्भव बनाता है।
4. यह नौजवान कलेक्टर के मित्र, दार्शनिक व सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
5. यह सम्भाग में पंचायती राज संस्थाओं का सलाहकार भी होता है।
6. यह सरकार के कार्यक्रमों का प्रभावी समन्वय भी सुनिश्चित करता है।

सम्भागीय आयुक्त व्यवस्था के विपक्ष में तर्क :-

→ सम्भागीय आयुक्त द्वारा कलेक्टर के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना।

→ सम्भागीय आयुक्त को कलेक्टर पर कलेक्टर भी कहा जाता है।

→ राज्य सरकार पर वित्तीय भार।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

जिला कलेक्टर

कलेक्टर पद का विकास :-

→ 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में रॉल्फ शेल्डन को भारत का प्रथम कलेक्टर नियुक्त किया। (राजस्व संग्रहण हेतु)

→ 1787 में कलेक्टर को विभिन्न न्यायिक शक्तियाँ भी हस्तान्तरित की गई अतः कलेक्टर को 'लिटिल नेपोलियन' भी कहा जाता था।

→ स्वतंत्रता के पश्चात् कलेक्टर पद को सभी राज्यों में अपनाया गया।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

→ कलेक्टर के विभिन्न पद नाम

1. जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (राजस्थान)
2. जिला मजिस्ट्रेट (उत्तरप्रदेश व प. बंगाल)
3. उपायुक्त (कर्नाटक & हरियाणा)

→ 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने के पश्चात् कलेक्टर की विकास प्रशासन में भूमिका बदल चुकी है।

→ 2009 में पहली बार RAS से पदोन्नत IAS अधिकारियों को जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया।

→ 2011 में राजस्थान में आयुक्त प्रणाली → (पुलिस विभाग) की

की शुरुआत हुई एवं कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में भी परिवर्तन हुआ है।

कलेक्टर के कार्य व भूमिका :-

1. राजस्व अधिकारी के रूप में :-

(i) जिले में राजस्व संग्रहण कार्य। [सिंचाई कर, कृषि कर, नहरी कर, पंजीयन व स्टैम्प शुल्क]

(ii) अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण।
जैसे - SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी।

(iii) जिला राजकोष पर नियंत्रण।

(iv) जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।

(v) जिले में राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना।

(vi) भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना।

(vii) जिले में फसलों का अनुमान लगाना।

(viii) राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन, [जैसे - न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, प्रशासन गाँवों के संग, आपका जिला आपकी सरकार।]

(ix) राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(A) राजस्थान भू-राजस्व कानून 1956

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518

⑤ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

2. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में :-

(i) जिला प्रशासन के कार्मिकों पर नियंत्रण।

(ii) जिले में सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण।

(iii) सर्किट हाउस का प्रबंधन।

(iv) जिले में सरकारी आवासों का आवंटन।

(v) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना।

(vi) जिले में Posdcorb कार्यों को सुनिश्चित करना।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

Ⓐ P → Planning (योजना बनाना) → जिले में संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना (मानव भौतिक व वित्तीय संसाधन)

Ⓑ O → organize (संगठित करना) → जिले में मानव संसाधन को संगठित करना।

Ⓒ S → staffing → कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पदोन्नति, पद-स्थापन आदि सुनिश्चित करना।

Ⓓ D → directing (निर्देशित करना) → अधीनस्थों को विभिन्न निर्देश प्रदान करना।

Ⓔ Co → coordinating (समन्वय करना) → जिले में सरकारी विभागों, कर्मचारियों व समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

④ R → Reporting (प्रतिवेदन प्राप्त करना) → अधीनस्थों से विभिन्न प्रगति विवरण प्राप्त करना।

⑤ Budgeting → जिले के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना।

3. दण्डनायक के रूप में :-

(i) जिले में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

(ii) जिले में कर्फ्यू लगाना। (CrPC की धारा 144 के तहत)

(iii) शान्ति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना।
(CrPC की धारा 151 के तहत)

(iv) जिले के कारागृह, उपकारागृह, थानों का निरीक्षण करना।

(v) सूर्यास्त के पश्चात पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना।

(vi) जिला पुलिस की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार के गृह विभाग को प्रेषित करना।

(vii) जिले में हथियारों के लाईसेंस जारी करना।

(viii) जिले में विदेशियों के पारपत्र की जाँच करना।

(ix) जिले में विभिन्न कानूनों को सुनिश्चित करना।

→ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (1980)

→ PASA (2006)

(x) जिले में 'गुण्डासूची' का अवलोकन करना।

4. निर्वाचन अधिकारी के रूप में :-

(i) जिले में विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाना।
जैसे – MP, MLA, पंचायती राज संस्थान, शहरी निकाय।

(ii) जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में मतदाता सूची का नवीनीकरण।

(iii) मतदाताओं की सुविधा हेतु कार्य करना।

(iv) चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करना।

(v) मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का जिले में क्रियान्वयन।

5. समन्वयकर्ता के रूप में :-

(i) जिला कलेक्टर निम्नलिखित के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है :-

(a) जिले के विभागों के मध्य
(b) विभिन्न समितियों के मध्य (जिले में लगभग 60 समितियाँ)
(c) सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय
(d) NGO (गैर सरकारी संगठनों) के साथ समन्वय
(e) जिले के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य
(f) केन्द्र सरकार के साथ समन्वय
(g) राज्य सरकार के साथ समन्वय

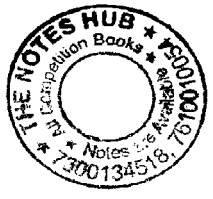

6. आपदा निवारक अधिकारी के रूप में :-

→ जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष

होता है। [आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के अनुसार]

• अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करता है :-

(i) प्रभावितों का पुनर्वास

(ii) प्रभावितों को खाद्य व नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(iii) चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।

(iv) प्रभावितों के मुआवजे की व्यवस्था करना।

7. विकास कार्य में भूमिका :-

(i) जिले में जिला आयोजना समिति के माध्यम से एकीकृत विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।

(ii) जिले के विकास कार्यों का निरीक्षण या monitoring करना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

कलेक्टर के समक्ष चुनौतियाँ :-

(i) अत्यधिक राजनैतिक हस्तक्षेप।

(ii) कार्यकाल की अनिश्चितता (बारम्बार स्थानान्तरण)

(iii) मानव संसाधन का अभाव

(iv) सामान्य प्रशासन व पुलिस प्रशासन के मध्य समन्वय का अभाव।

(v) बढ़ती VIP संस्कृति या कलेक्टर का बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य।

(vi) जिले में कानून व शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी बढ़ती समस्याएँ।

(vii) सरकारी योजनाओं में जन-भागीदारी की कमी या अभाव।

कलेक्टर की बदलती भूमिका → विभिन्न कारक

(i) संविधान का अनुच्छेद-50 → कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण।

(ii) कलेक्टर "सर्वेसर्वा से लोकसेवक" के रूप में।

(iii) 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। इससे कलेक्टर की विकास कार्य में भूमिका परिवर्तित हुई है।

(iv) पुलिस प्रशासन में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत।

→ इससे कलेक्टर की कानून व शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका परिवर्तित हुई है।

THE NOTES HUB ★ 7610010064 All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518

(v) प्रशासनिक सुधार व नवाचार।

जैसे - लोकसेवा गारन्टी कानून, सम्पर्क पोर्टल आदि।

(vi) प्रेस की स्वतंत्रता कानून व सूचना का अधिकार कानून-2005।

उपखण्ड अधिकारी

नियुक्ति → RAS अधिकारी को → सीधी भर्ती द्वारा (67%)
→ पदोन्नति द्वारा (33%)

स्थानान्तरण → स्थानान्तरण व नियन्त्रणकर्ता विभाग
→ DOP (Department of personel)

कार्यकाल → अनिश्चित

उपखण्ड अधिकारी के कार्य व भूमिका :-

1. राजस्व अधिकारी के रुप में

(i) उपखण्ड में राजस्व संग्रहण कराना।

(ii) उपखण्ड में राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे – जमाबन्दी, भू - नक्शा, नामान्तरकरण पन्जीका।

(iii) उपखण्ड में फसलों का आकलन करना।

(iv) राजस्व अपीलों की सुनवायी करना।

(v) उपखण्ड में पत्थरगढी के आदेश करना।

(vi) राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन।

(vii) उपखण्ड में कलेक्टर की तरफ से भूमि अधिग्रहण करना।

(viii) अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010034

2. दण्डनायक के रूप में :-

(i) उपखण्ड में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

(ii) उपखण्ड में कर्फ्यू के आदेश जारी करना। (CrPC की धारा-144 के तहत)

(iii) शान्ति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।

(iv) उपकारागृह व पुलिस थानों का निरीक्षण करना।

THE NOTES HUB ★ 7300134513, 7610100054 All Competition Books ★ Notes are Available

3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में :-

(i) उपखण्ड में सरकारी कार्यालयों व कर्मचारियों पर नियंत्रण।

(ii) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना। [जैसे - जाति प्रमाण-पत्र, EWS प्रमाण-पत्र]

(iii) उपखण्ड में जन शिकायतों का निस्तारण व समाधान। [उपखण्ड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति]

(iv) उपखण्ड में खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना।

(v) उपखण्ड में जनगणना, पशुगणना व B.P.L गणना सम्बन्धित कार्य।

(4) प्रोटोकॉल कार्य :- उपखण्ड अधिकारी प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आगवानी करता है।

जैसे - मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आयोगों के अध्यक्ष आदि।

5. निर्वाचन अधिकारी के रूप में :-

(i) सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाना।

जैसे → MP / MLA / विधायक

(ii) उपखण्ड में आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना।

(iii) बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की नियुक्ति।

(iv) उपखण्ड में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना।

(v) मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चुनौतियाँ :-

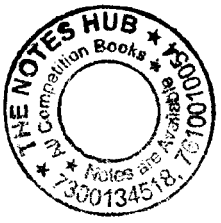

1. अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप।
2. सामान्य प्रशासन व पुलिस विभाग के बीच समन्वय का अभाव।

तहसीलदार (प्रशासन की मुख्य कड़ी)

RTS (राजस्थान तहसीलदार सेवा) ↳ सीधी भर्ती द्वारा
पदोन्नति द्वारा
(पटवारी या गिरदावर)

नियुक्ति :- → राजस्व मण्डल - अजमेर
निष्कासन
निलम्बन
स्थानान्तरण

प्रशिक्षण → राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। (RRTI, AJMER)

कार्यकाल → अनिश्चित।

तहसीलदार के कार्य व भूमिका :-

1. राजस्व अधिकारी के रूप में :-
(i) तहसील में राजस्व संग्रहण।
(ii) तहसील में भू-अभिलेखों को सुरक्षित करना।
(iii) अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण।
(iv) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।
(v) नामान्तरकरण को स्वीकृत करना।
(vi) तहसील में राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन।

(vii) सीमा ज्ञान व तकाशमे सम्बन्धी कार्य। (भूमि का बटवारा)

२. प्रशासनिक अधिकारी के रुप में:-

(i) राजस्व सम्बन्धी जन शिकायतों का निस्तारण।

(ii) विभिन्न प्रमाण-पत्र जारी करना। (मूल निवास, आय, हैसियत)

(iii) उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण।

३. दण्डनायक के रुप में:-

(i) भूमि अतिक्रमण के मामलों में छः माह की जेल व २०० रुपए का जुर्माना।

(ii) शान्ति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।

4. उपपंजीयक के रुप में:-

(i) उपपंजीयक के रुप में तहसीलदार राज्य सरकार के लिए स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का संग्रहण करता है।

(ii) विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन भी करता है।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010

5. उपराजकोष अधिकारी के रुप में:-

(i) उपराजकोष अधिकारी के रुप में तहसीलदार उपराजकोष के केयरटेकर के रुप में कार्य करता है।

६. राहत कार्यों में:-

(i) सार्वजनिक निर्माण विभाग में भूमि अवाप्ति अधिकारी के

रूप में कार्य करना।

(ii) जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के रूप में कार्य।

(iii) वन-विभाग में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य।

(iv) तहसीलदार पशु-पालन विभाग, भारत पेट्रोलियम कॉप॰लि॰ (BPCL), RIICO व DMIC में भी कार्य करता है।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

पटवारी

→ पटवारी के भर्ती नियम राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाए जाते है।

→ नियुक्ति अधिकारी - जिला कलेक्टर

→ स्थानान्तरण – जिले मे कलेक्टर द्वारा

→ संभाग मे – संभागीय आयुक्त द्वारा

→ राजस्थान मे कही भी – राजस्व मण्डल अजमेर

→ प्रशिक्षण → पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा

पटवारी के कार्य व भूमिका :-

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

1. राजस्व संग्रहण :- इसमें तीन शर्तें है :-

(i) राजस्व संग्रहण उस निश्चित दर पर किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(ii) भू-राजस्व संग्रहण निश्चित समयावधि मे किया जाना चाहिए।

(iii) संग्रहित भू-राजस्व को उपराजकोष मे जमा करवाया जाना चाहिए।

भू- अभिलेखो का संधारण :- जमाबन्दी, नामान्तरीकरण पंजिका, भू - नक्शा

2. सांख्यिकी कार्य :-

पटवारी द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रो मे वांछित रिपोर्ट की जाती है।

जैसे :- जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।

3. विकास कार्यों में भूमिका :-

पटवारी विभिन्न लाभार्थियों के पक्ष में उत्तराधिकारी की रिपोर्ट भी करता है।

ex. → राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013

4. राजस्व सुधारों में भूमिका :-

→ पटवारी निम्नलिखित राजस्व सुधारों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।

(i) चकबंदी
(ii) चकबंदी
(iii) भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134513, 7610010050

5. राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन :-

(i) प्रशासन गाँवों के संग
(ii) न्याय आपके द्वार
(iii) आपका जिला आपकी सरकार
(iv) प्रशासन शहरों के संग

6. अन्य कार्य :-

(i) निर्वाचन कार्यों में तहसीलदार को सहायता प्रदान करना।
(ii) तहसीलदार को सामान्तरकरण प्रस्तुत करना।
(iii) आपदा राहत कार्यों में नुकसान का आकलन करना।

जिला पुलिस अधीक्षक

नियुक्ति → IPS

/ — पदोन्नति द्वारा

सीधी भर्ती

स्थानान्तरण व नियंत्रण :- राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा

कार्यकाल :- अनिश्चित

अन्तिम नियंत्रण :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार

जिला पुलिस अधीक्षक के कार्य व भूमिका :-

1. जिला कलेक्टर के समन्वय के साथ जिले मे कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7F1001005

2. जिला पुलिस बल का मनोबल बनाए रखना।
3. जिले मे FIR व F.R. की समीक्षा करना।
4. जिले में पुलिस थानो व चौकीयों का निरीक्षण करना।
5. जिला पुलिस वाहनों, हथियारों, भवनों, आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण करना।
7. जिले मे सामुदायिक पुलिसिंग को सुनिश्चित करना।
   (पुलिस व जनता के मध्य न्यूनतम दूरी, । अधिकतम संवाद)
8. जिले मे सामुदायिक डिकॉय ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना।

9. अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

10. जिले में गुण्डालिस्ट का अवलोकन करना।

11. जिला पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण - प्रशिक्षण - पदोन्नति स्थानान्तरण - जिले में Constable से लेकर C.I तक

12. राज्य पुलिस के विभिन्न अभियानों का क्रियान्वयन।

→ ऑपरेशन आग

→ ऑपरेशन मिलाप

→ आवाज अभियान

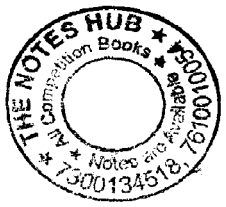

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

13. जिले में यातायात प्रबंधन कार्य।

पुलिस अधीक्षक के समक्ष चुनौतियाँ :-

1. अत्यधिक राजनैतिक हस्तक्षेप।

2. मानव संसाधन का अभाव (पुलिस, सेना)

3. अस्थाई कार्यकाल (बारम्बार स्थानान्तरण)

4. परम्परागत हथियार।

5. बढ़ता साईबर अपराध।

6. बढ़ती कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएँ।

7. बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य।

आयुक्त प्रणाली

कमिश्नर व्यवस्था :- राजस्थान में क्रियान्वयन

↓

1 जनवरी 2011 (जयपुर, जोधपुर)

जयपुर के प्रथम कमिश्नर - श्री भूपेन्द्र कुमार दत्त

वर्तमान कमिश्नर :- श्री रवि दत्त गौड़ (जोधपुर)
- श्री आनंद श्रीवास्तव (जयपुर)

सामान्यतः IG Rank अधिकारी को पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्त किया जाता है।

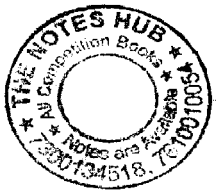

→ पुलिस कमिश्नर व्यवस्था में

कमिश्नर

↓

अतिरिक्त कमिश्नर

↓

D.C.P

↓

A.D.C.P

↓

A.C.P

- कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता :-

1. अपराध पर नियंत्रण (बड़े शहरों में)

2. पुलिस प्रशासन की अधिक स्वायतता प्रदान करने हेतु।

3. पुलिस प्रशासन का उच्च मनोबल बनाए रखने हेतु।

4. तत्काल निर्णय प्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु।

5 आम आदमी को पुलिस व दण्डनायक के कार्य एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु।

कमिश्नर के कार्य :-

1. कमिश्नर क्षेत्र में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है।

2. कमिश्नर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू करताहै (CRPC की धारा 144)

3. शान्ति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।

4. हथियारों के लाइसेंस प्रदान करना।

5. कमिश्नर क्षेत्र में रैली व प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करना।

6. विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन करना।

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980

(ii) PASA, 2006

(iii) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975

नियंत्रण

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

राज्य सचिवालय

→ राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यपालक जिस कार्यस्थल पर बैठकर नीति व कानून का निर्धारण करते हैं, उसे राज्य शासन सचिवालय कहा जाता है।

→ प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है।

→ इसमें राज्य सरकार के कई विभाग होते हैं।

→ विभागों के प्रमुख मंत्री होते हैं व प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है।

→ मुख्य सचिव सम्पूर्ण सचिवालय का प्रमुख होता है।

→ वर्ष 1949 में राजस्थान सचिवालय की स्थापना हुई
   ↳ भगवन्त दास बैरक – C-स्कीम (जयपुर)

→ राजस्थान सचिवालय 67 विभाग व 4 ने विभाग का दर्जा प्राप्त किया है –

1. राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड
2. मंत्रिपरिषद्
3. एन्टी करप्शन ब्यूरो (ACB)
4. प्लानिंग कमीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस

→ भारत में सचिवालय व्यवस्था का सूत्रपात अंग्रेजों ने किया।

→ प्रान्तीय सचिवालय 1843 ई. में अस्तित्व में आए।

→ केन्द्रीय सचिवालय को इम्पीरियल सचिवालय कहा जाता था।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518 7610010064

→ **राज्य प्रशासन**

- मंत्री (मंत्रालय) ↓ जन इच्छा के प्रतीक
- सचिव (सचिवालय) ↓ मस्तिष्क
- कार्यकारी (निदेशालय) ↓ हाथ-पैर ↓ नीतियों को लागू करना

मंत्री + सचिव → नीति व कानून का निर्धारण

→ **सचिवालय की संरचना**

① राजनीतिक संरचना

- CM
- ↓ कैबिनेट मंत्री
- ↓ राज्य मंत्री — स्वतंत्र प्रभार / अधीनस्थ
- ↓ उपमंत्री

② प्रशासनिक संरचना

- मुख्य सचिव
- ↓ अतिरिक्त मुख्य सचिव
- ↓ प्रमुख शासन सचिव
- ↓ सचिव
- ↓ विशिष्ट सचिव
- ↓ संयुक्त सचिव
- ↓ उपसचिव
- ↓ सहायक सचिव

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100054

↓

कार्यालय अधीक्षक / अनुभाग अधिकारी

↓

सहायक अधीक्षक / सहायक अनुभाग अधिकारी

↓

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

↓

UDC
LDC

↓

स्टेनो / टाइपिस्ट

↓

चपरासी / फराश

सचिवालय सेवा

↓

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा
(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा
(3) भारतीय वन सेवा
(4) राजस्थान न्यायिक सेवा
(5) राजस्थान लेखा सेवा
(6) अन्य विशिष्ट सेवाएं

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518,7610

→ सचिवालय के कार्य :–

सचिवालय *Staff Agency* है, जो मंत्रियों को सलाह देती है।

1. राज्य सरकार की नीतियाँ व कार्यक्रम तैयार करना;
2. नीतियों व कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करना;

3. राज्य का बजट तैयार करना तथा वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना;
4. क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित करना;
5. नीतियों व कार्यक्रमों के परिणामों की समीक्षा करना,
6. केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों के मध्य सम्पर्क स्थापित करना;
7. मंत्रियों की विधानमण्डल से सम्बन्धित जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करना;
8. राज्य सरकार के सूचना भण्डार के रूप में कार्य करता है,
9. जनता की शिकायतों व अभ्यावेदनाओं की सुनवाई करता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ **सचिवालय में सुधार के सुझाव :-**

I st ARC के अनुसार → अध्यक्ष - मोरारजी देसाई
(बाद में) - K. हनुमन्तैया

1. राज्य सरकारों में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन हेतु अर्थात् राजनीतिक लाभ हेतु विभागों की मूल भावना को खत्म नहीं करना चाहिए।
3. मुख्य सचिव के अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।

4. प्रत्येक विभाग में नीतिगत सलाहकार समिति गठित होनी चाहिए ।

THE NOTES HUB ★ 7300134518,7610100064 All Competition Books & Notes are Available

सचिवालय व निदेशालय में अंतर

सचिवालय		निदेशालय	
1.	शीर्ष प्रशासनिक संस्था	1.	अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था
2.	सामान्यज्ञ सेवाएं उपलब्ध	2.	विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध
3.	अधिकारी - सचिव	3.	अधिकारी - निदेशक
4.	उच्च स्तरीय नीति निर्धारण, कार्यक्रम निर्माण	4.	नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करना
5.	मन्त्री से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित	5.	मंत्री से प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं
6.	स्टाफ एंजेसी	6.	लाइन एंजेसी

B.S. मेहता ने प्रकोष्ठ व्यवस्था लागू की, इसके अन्तर्गत विभागों को प्रकोष्ठों में बांटा जाता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसे प्रतिविधान शक्तियाँ दी जाती हैं ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सकें । यदि कोई विवाद उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता तो उसका ट्रांसफर ऊपर के स्तर के अधिकारियों को कर दिया जाता है ।

मोहनमुखर्जी समिति - (1969-70)

उद्देश्य - राज्य सचिवालय का पुनर्गठन करना ।

मुख्य सचिव :-

1. मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है।
2. राज्य में प्रशासनिक दृष्टि में सबसे सर्वोच्च पद होता है।
3. राज्य में नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासनिक नेतृत्व में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, इसीलिए इसे राज्य प्रशासन का king pin कहा जाता है।
4. राज्य का मुख्य सचिव केन्द्र के सचिवों के समकक्ष होता है।

Note :-

राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव - के. राधाकृष्णन
वर्तमान - निरंजन आर्य
चयन व नियुक्ति - मुख्यमंत्री द्वारा
↓
चयन के समय

निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है -
1. प्रशासन का व्यापक अनुभव व वरिष्ठ अधिकारी
2. आकर्षक व्यक्तित्व
3. मुख्यमंत्री का विश्वासपात्र

कार्यकाल - मुख्यतः राज्य सरकार की इच्छा पर (सेवाकाल तक)

1st ARC के अनुसार
↓
3-4 वर्ष होना चाहिए।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518,7610010034

- 1956 से पूर्व राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती थी, क्योंकि 1956 से पूर्व राजस्थान B श्रेणी का राज्य था।

- B.L. माथुर, मुख्य सचिव ने चार मुख्यमंत्रीयों के साथ कार्य किया –
  1. हरिदेव जोशी
  2. शिवचरण माथुर
  3. हरिदेव जोशी
  4. भैरोसिंह शेखावत

Note – B.S. मेहता सबसे लम्बे समय तक मुख्य सचिव रहे। (1956–64)

Note – Ist महिला C.S. – श्रीमती कुशाल सिंह

मुख्य सचिव : शक्तियाँ व कार्य :–

I. मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में –

1. मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार।
2. मुख्यमंत्री प्रशासन से सम्बन्धित सभी नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव से परामर्श करता है।
3. मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में प्रशासनिक बाधाओं से सम्बन्धित जानकारी मुख्यमंत्री को देना।
4. मुख्य सचिव, सरकार के सचिवों व CM के मध्य कड़ी का कार्य करता है।

II. मन्त्रीमण्डलीय सचिव के रूप में भूमिका :–

1. राज्य मंत्रीमण्डल के सचिव के रूप में कार्य करता है।
2. मन्त्री-मण्डलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख।

3. मंत्रिमण्डल की उपसमितियों की बैठकों में भाग लेता है।
4. मंत्रिमण्डल की बैठक की कार्यसूची तैयार करता है और बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है।
5. बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है।

III. लोक सेवा प्रमुख के रूप में :-

1. राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है।
2. यह राज्य में वरिष्ठ लोकसेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है।
3. राज्य लोक सेवकों का मनोबल बनाए रखता है।

IV. मुख्य / प्रमुख समन्वयक के रूप में :-

1. यह राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक है।
2. अन्तर्विभागीय समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
3. अन्तर्विभागीय समितियों के मध्य समन्वय से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण करता है।
4. केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
5. ज़िला कलेक्टरों व अन्य विभागीय सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518,7610001004

V. कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में –

मुख्य सचिव कुछ विभागों का प्रमुख होता है, किन्तु सभी राज्यों में एकसमान स्थिति नहीं है।

राजस्थान में – 1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. प्रशासनिक सुधार विभाग
3. नियोजन विभाग

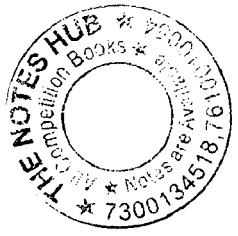

Note :- 2nd ARC की सिफारिश के अनुसार मुख्य सचिव को वार्षिक विभाग का मुखिया होना चाहिए।

VI. संकटकालीन प्रशासक के रूप में :-

1. मुख्य सचिव बाढ़, सूखा, साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य आपदाओं के समय अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. यह राहत कार्यों में लगे अधिकारियों का मार्गदर्शन करता है व उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है।
3. संकटकाल में गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है।
4. संकटकाल में अधीनस्थ अधिकारियों व संस्थाओं को प्रेरित करता है।
5. यह प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

VII. अन्य कार्य व भूमिका :-

1. मुख्य सचिव अवशीष्ट वसीयतदार है।
(Residual Legatee)

कैबिनेट सचिव व मुख्य सचिव में समानताएं व असमानताएं :-

असमानताएं :-

केन्द्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव, CS के पद के समान कोई पद नहीं है अत: केन्द्रीय कैबिनेट सचिव को ही CS के समतुल्य माना जा सकता है।

समानताएं :-

1. दोनों ही अपने - अपने सचिवालय के मुखिया हैं।
2. दोनों ही मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार होते हैं।
3. दोनों अपने - अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं।
4. दोनों ही मंत्रिमण्डल सचिवालय के प्रमुख हैं।
5. दोनों अपने - अपने मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं।
6. दोनों लोक सेवा के प्रमुख हैं।
7. दोनों ही संकटकालिक प्रशासक हैं।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518,7610010034

असमानताएं :→

कैबिनेट सचिव	मुख्य सचिव
1. कम शक्तियाँ	1. अधिक शक्तियाँ
2. केन्द्रीय सचिवालय का प्रमुख नहीं	2. राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख
3. सचिवों का प्रधान नहीं	3. राज्य सचिवों का मुखिया
4. अधीन कोई विशेष विभाग नहीं	4. राज्य के कुछ विभाग सीधे इसके अधीन
5. अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं	5. अवशिष्ट शक्तियों का वसीयतदार

2. यह क्षेत्रीय परिषदों में क्रमानुसार सचिव की भूमिका निभाता है।

3. मुख्य सचिव पूरे सचिवालय को नियंत्रित व निर्देशित करता है।

4. केन्द्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।

5. कानून व नियोजन से जुड़े मामले देखता है।

6. केन्द्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में भाग लेता है।

7. राज्य प्रशासन का प्रवक्ता होता है।

8. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल का मुख्य सलाहकार।

9. राज्य सरकार के जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

Q. अभ्यास प्रश्न :- मुख्य सचिव की उन्नत स्थिति को आज व्यवहार में बहुत अधिक मात्रा तक गिरा दिया गया है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर संकेत :- 1. कार्यकाल की अनिश्चितता
2. राजनीतिकरण
3. गठबंधन सरकारें
4. विभाग में अन्य पद

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

1. आयोग [commission]

आयोग

- **संवैधानिक आयोग**
  - राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद-२४३K व २४३ZA)
  - राजस्थान लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद - 315 - ३२३)
- **सांविधिक / वैधानिक**
  1. राज्य मानवाधिकार आयोग [संसद के कानून-मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित]
  2. राज्य सूचना आयोग [संसद के कानून-सूचना का अधिकार-२००5 द्वारा स्थापित]
  3. लोकायुक्त [राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून]
     ↓
     राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम-१९७३ द्वारा स्थापित
- **कार्यकारी आदेश द्वारा**
  1. राज्य आयोजना बोर्ड - राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित

THE NOTES HUB

1. संवैधानिक आयोग :-

(i) राज्य निर्वाचन आयोग :- यह एक संवैधानिक आयोग है।

प्रावधान → अनुच्छेद 243K व 243ZA (भाग-IX व IX-A)

स्थापना → राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले निर्णय लिया गया।
[17 June 1994]

→ आयोग को 1 July 1994 को स्थापित किया गया।

संरचना :- यह एक सदस्यीय आयोग है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त (वर्तमान- श्री मधुकर गुप्ता)

↓

(IAS) सचिव → मुख्य निर्वाचन अधिकारी - (वर्तमान-प्रवीण गुप्ता)

↓

उपसचिव (RAS)

↓

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर)

↓

जिला पंजीयन अधिकारी (जिला कलेक्टर)

↓

निर्वाचन अधिकारी

↓

सहायक निर्वाचन अधिकारी

↓

मतदान अधिकारी

↓

बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO)

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु योग्यता :-

1. सेवानिवृत्त लोकसेवक जिसने अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया हो।

नियुक्ति :- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद की सिफारिश पर।

वेतन भत्ते :- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति।

→ आयुक्त के वेतन-भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है।

इस्तीफा :- राज्यपाल को।

निष्कासन प्रक्रिया :- राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। [अनुच्छेद 124(4)]

निष्कासन के कारण :- [अनुच्छेद 243K(2) व 243 ZA (2)]

1. कदाचार / दुर्व्यवहार
2. असमर्थता

वार्षिक प्रतिवेदन :- राज्यपाल को

Note :- राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा (120) में भी किया गया है।

Note 2 :- राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुपस्थिति में आयोग का सचिव आयुक्त की तरह कार्य करता है।

आयोग की स्वतंत्रता व स्वायत्तता हेतु किए गए उपाय :-

1. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया :- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर।
2. आयोग को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।
3. आयुक्त के कार्यकाल की निश्चितता → 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो।
4. निष्कासन की जटिल प्रक्रिया - राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के पश्चात।
5. आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है।
6. आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक।

* राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य :- (आयुक्त के कार्य भी)

1. राज्य में पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों का आयोजन करवाना।
2. स्थानीय निकायों के उपचुनावों का आयोजन करवाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करवाना।
4. चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन।
5. चुनावों को स्थगित करना।

6. राज्य सरकार को परिसीमन मामलों में सलाह प्रदान करना।

7. राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।

8. राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

9. मतदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य।
जैसे → पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैम्प की सुविधा।

10. राज्य में विभिन्न चुनाव सुधारों का क्रियान्वयन।
जैसे :- पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों में EVM का प्रयोग।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010053

11. फोटोयुक्त मतदाता सूची।

राज्य निर्वाचन आयोग की कमियाँ :-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार।

2. केवल सेवानिवृत्त लोक सेवकों को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।

3. आयुक्त के रिक्त पद।

4. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया है।

सुझाव / सुधार

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक कॉलेजियम की सिफारिश

पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होना चाहिए। (दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश)

2. भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को साथ आने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि दोनों एक-दूसरे के अनुभवों को साझा कर सके।

3. सरकारी या सेवानिवृत लोकसेवकों की जगह स्वतंत्र व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। (स्रोत- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय)

4. राज्य सरकारों को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करना चाहिए। (स्रोत — सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय)

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) :-

→ रियासत काल का प्रथम लोकसेवा आयोग - जोधपुर (1937)

→ RPSC की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी - 16 Aug. 1949

→ RPSC प्रभाव में आया - 20 Aug. 1949 (राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा)

→ RPSC ने कार्य करना आरम्भ किया - 22 दिसम्बर 1949

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

* RPSC की संरचना :-

→ वर्तमान → 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य (2011 से)

→ स्थापना के समय → 1 + 2 (1 अध्यक्ष व 2 सदस्य)

→ प्रथम अध्यक्ष - S.K. घोष

→ दो सदस्य → ① D.S तिवारी

② N.R. पांडोरकर

NOTE :- राज्यपाल RPSC के सदस्यों की संख्या में वृद्धि व कमी कर सकता है। [राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974 द्वारा]

अध्यक्ष

↓

सदस्य [7]

↓

सचिव [IAS 1969 से]

↓

संयुक्त सचिव [RAS]

↓

उपसचिव

* योग्यता :- 1) 50 प्रतिशत सदस्य ऐसे होंगे जिन्हे संघ या राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

1) 50 प्रतिशत सदस्य वकील, पत्रकार या शिक्षाविद् हो सकते है।

: नियुक्ति :- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर।

: कार्यकाल :- 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो। (74 वें संविधान संशोधन द्वारा)

- कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्त नही होंगे।

• कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य लाभ का पद ग्रहण नही करेंगे।

* पुर्नियुक्ति के प्रावधान :-

	RPSC		State PSC		UPSC	
	M	C	M	C	M	C
RPSC अध्यक्ष	X	X	X	✓	✓	✓
RPSC - सदस्य	X	✓	X	✓	✓	✓

M = Member
C = chairman

→ इस्तीफा → राज्यपाल को

वार्षिक प्रतिवेदन → राज्यपाल को

* निष्कासन / हटाने की प्रक्रिया :- राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् /

निष्कासन के आधार → 1. कदाचार / दुर्व्यवहार
2. असमर्थता
3. दिवालियापन
4. लाभ का पद
5. नैतिक पतन

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

Note :→ राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के दौरान अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। (अनुच्छेद 317(2))

* वेतन भत्ते :- राज्य की संचित निधि से

अध्यक्ष → 2 लाख 25 हजार

सदस्य → 2 लाख 15 हजार

Note :- आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

→ RPSC का कार्यालय → अजमेर [1 नवम्बर 1958 से]
↓
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर।

+ RPSC के कार्य :- (अनुच्छेद 320)

1. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करवाना।

2. राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना जो निम्न प्रकार है :-

a. विभिन्न नीतियों के मामलों में
जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, पद स्थापन, स्थानान्तरण आदि।

b. अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में

c. राज्य सरकार के पेंशन सम्बन्धी मामले।

d. कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति/भुआवजे के मामले।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

3. राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। (अनुच्छेद 323(2))

4. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन करवाना।

वे मामले जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं

होती है :-

(i) राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले।

(ii) नई लोक सेवाओं का सृजन।

(iii) पदों का वर्गीकरण।

(iv) सेवाओं का आवंटन।

(v) परिवीक्षा काल / प्रशिक्षण अवधि।

(vi) परिवीक्षा काल एवं पदोन्नति के पश्चात् वेतन।

RPSC की कमियाँ :-

(i) जाति आधारित नियुक्तियाँ।

(ii) अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद।

(iii) आयोग की सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।

(iv) भ्रष्टाचार के आरोप।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

(v) विवादित भर्ती प्रक्रिया।

(vi) भर्तीयों में देरी।

(vii) आयोग में राजनीतिक हस्तक्षेप।

(viii) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी केवल औपचारिक प्रक्रिया

आयोग में सुधार :-

1. वन टाईम रजिस्ट्रेशन।
2. ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था (लिखित परीक्षाओं में)
3. माई एग्जाम माई रिव्यू (ऑनलाईन परीक्षाओं में)
4. परीक्षा केन्द्रों की ऑनलाईन ट्रेसिंग
5. थ्री लिटिगेशन समिति का गठन
6. भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर।

आयोग में सुझाव

1. सदस्यों के पदों में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. सदस्यों का चयन मेरिट आधारित होना चाहिए।
3. भर्ती संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना।
4. भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर बनाकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए।
5. राजनीति हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।

THE NOTES HUB All Competition Books 7610010054

संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC)

→ संवैधानिक प्रावधान (315 (2))

→ संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के कानून द्वारा किया जाता है।

Note :- संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापना के पश्चात् सांविधिक आयोग कहलाता है।

Note - नियुक्ति | इस्तीफा | निष्कासन | निलंबन - राष्ट्रपति द्वारा

वार्षिक प्रतिवेदन → संबंधित राज्यों के राज्यपाल को।

→ संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन पंजाब - हरियाणा के लिए किया जा चुका है। (1966)

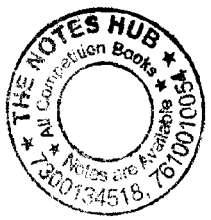

2. सांविधिक आयोग :-

1. लोकायुक्त :- स्वीडन मे राजनैतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ओम्बुड्समैन संस्थान को स्थापित किया गया।

→ इसे ब्रिटेन व फिनलैण्ड मे :- संसदीय आयुक्त

→ रूस → पब्लिक प्रोसिक्युटर

→ राजस्थान के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ओम्बुड्समैन जैसे संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की। (1963)

भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की। [प्रथम बार इसकी स्थापना हेतु लोकसभा मे 1968 मे विधेयक लाया गया।]

लोकपाल व लोकायुक्त नाम दिए गए - L.M सिंघवी द्वारा

पहला राज्य जहाँ लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ - उड़ीसा (1970)

पहला राज्य जहाँ लोकायुक्त नियुक्त किया गया - महाराष्ट्र (1971)

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300113518, 7610010054

राजस्थान का लोकायुक्त :-

राजस्थान मे लोकायुक्त एक सांविधिक संस्थान है क्योंकि इसे राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित किया गया है।

→ विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर → 3 feb. 1973

→ राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए → 26 मार्च 1973

लोकायुक्त संस्थान की संरचना :-

लोकायुक्त
↓
उपलोकायुक्त
↓
सचिव
↓
उपसचिव

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010054

⇨ प्रथम लोकायुक्त — आई. डी. दुआ (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्याय.)

⇨ वर्तमान लोकायुक्त → प्रताप कृष्ण लोहरा

⇨ लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल → M.B Sharma (8 year)

⇨ लोकायुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल → विनोद शंकर दवे

⇨ लोकायुक्त जो किसी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं :-
1. Justice D.P gupta (राज. उच्च. न्यायालय के मु. न्यायाधीश)
2. M.L श्रीमाल (सिक्किम उच्च न्यायालय के मु. न्यायाधीश)
3. मिलापचन्द जैन (दिल्ली उच्च न्यायालय के मु. न्यायाधीश)

योग्यता :- 1. सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश / किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष

कार्यकाल → 5 years

→ 2018 में 8 साल

→ 2019 में 5 साल

→ लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति दी सकती है। → [M.B Sharma]

नियुक्ति → राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

समिति की संरचना 1. मुख्यमंत्री

↓

2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

↓

3. विधानसभा में विपक्ष का नेता

* वेतन व भत्ते :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भाँति।

* शपथ → राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति।

* इस्तीफा → राज्यपाल को।

निष्कासन प्रक्रिया → राज्यपाल द्वारा एक समिति की जाँच के पश्चात् विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर।

समिति की संरचना → समिति का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मु. न्यायधीश

हटाने के आधार :- 1. कदाचार
2. असमर्थता

वार्षिक प्रतिवेदन → राज्यपाल को

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार :-

1. मंत्री
↓
2. विभागाध्यक्ष । लोकसेवक । सचिव
↓
3. जिला परिषद के जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख
↓
4. पंचायत समिति के प्रधान व उपप्रधान
↓
5. पंचायती राज संस्थानों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
↓
6. नगर निगम के महापौर व उपमहापौर
↓
7. नगर परिषद के सभापति व उपसभापति
↓
8. नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
↓
9. नगरीय निकायों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष
↓
10. नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष (UIT)
↓
11. सरकारी कम्पनियों, निगमों एव मण्डलों के अध्यक्ष

क्षेत्राधिकार से बाहर :-

1. राज्यपाल
↓
2. मुख्यमंत्री
↓
3. विधायक
↓
4. सरपंच एवं उपसरपंच
↓
5. RPSC के अध्यक्ष व सदस्य
↓
6. राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रादेशिक आयुक्त
↓
7. विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी
↓
8. महालेखाकार, राजस्थान सरकार
↓
9. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश
↓
10. सेवानिवृत्त लोकसेवक।
↓
11. भ्रष्टाचार के 5 वर्ष पुराने मामले।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300135518, 7610010054

लोकायुक्त के कार्य :-

1. लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतें (भ्रष्टाचार की) प्राप्त करना :-

जैसे :- (i) भ्रष्टाचार या कुप्रशासन की शिकायत

(ii) लोकसेवक द्वारा पद का दुरुपयोग

(iii) लोकसेवकों मे सत्यनिष्ठा | सच्चरित्रता की कमी |

(iv) किसी को अनुचित हानि | कष्ट पहुँचाना |

2. लोकायुक्त को जाँच के दौरान निम्नलिखित शक्तियाँ (सिविल प्रक्रिया संहिता - 1908) प्राप्त है :-

(i) लोकसेवक को नोटिस जारी करना

(ii) लोकसेवक को गवाही या सबूत हेतु लोकायुक्त कार्यालय मे बुलाना |

(iii) लोकसेवक का शपथ पत्र पर बयान रिकॉर्ड करना |

(iv) किसी भी सरकारी कार्यालय से सरकारी दस्तावेज मंगवाना |

[राज्य सरकार का सरकारी कार्यालय]

3. सुनवाई के पश्चात् राज्य सरकार को लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना | [राज्य सरकार को 1 माह मे की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी]

4. लोकायुक्त गलत शिकायत पर तीन वर्ष का कारावास | जुर्माना कर सकता है |

5. राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना |

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

* लोकायुक्त संस्थान की कमियाँ :-

1. यह एक सलाहकारी निकाय है क्योंकि इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।

२. स्वयं की जाँच एजेन्सी न होना। [राज्य मानवाधिकार आयोग की भांति]

3. लोकायुक्त या उपलोकायुक्त के निरन्तर रिक्त पद।

4. अत्यधिक लम्बित मामले।

5. पाँच वर्ष से पुराने मामलों में जाँच का अधिकार न होना।

6. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक सूचना है।

* सुझाव :-

1. राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

२. सभी लोकसेवक एवं पदाधिकारियों को लोकायुक्त की जाँच के दायरे में लाया जाना चाहिए।

3. लोकायुक्त का स्वयं का जाँच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

4. किसी भी लोकसेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने पर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही।

Note :- राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु २०१५ में नरपतमल लोढ़ा समिति का गठन किया।

Note:- लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा, जिसका निर्णय राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

उपलोकायुक्त

नियुक्ति :- राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त से सलाह / विमर्श के पश्चात्

योग्यता :- राज्य सतर्कता आयुक्त या समकक्ष।

शपथ :- राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति।

वेतन/भत्ते :- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति।

इस्तीफा :- राज्यपाल को।

निष्कासन हेतु समिति :- सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में।

2. राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC

- राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक आयोग है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा-21 के अन्तर्गत किया गया है।

यह एक सलाहकारी आयोग है।

- स्थापना की अधिसूचना जारी हुई - 18 जनवरी 1999
- आयोग की स्थापना हुई → 23 मार्च 2000

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार

→ (i) आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश को बनाया जा सकता है।

(ii) कार्यकाल – 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो।

(iii) अध्यक्ष व सदस्यों की आयोग में पुनर्नियुक्ति हो सकती है।

(iv) एक महिला सदस्य की नियुक्ति भी की जाएगी। (1+2)

(v) आयोग में पदेन सदस्यों का प्रावधान –

THE NOTES HUB
All Competition Books

(a) चैयरमेन - OBC कमीशन

(b) चैयरमेन - ST कमीशन

(c) चैयरमेन - SC कमीशन

(d) चैयरमेन - अल्पसंख्यक आयोग

(e) चैयरमेन कमीशन दिव्यांगों के लिए (आयुक्त)

(f) अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(g) अध्यक्ष राज्य महिला आयोग

आयोग की वर्तमान संरचना

→ एक अध्यक्ष + दो सदस्य → [2006 से]

अध्यक्ष ↓ सदस्य ↓ सचिव (IAS) ↓ उपसचिव (RAS)

अध्यक्ष → (जाँच शाखा) अन्वेषण शाखा ↓ पुलिस महानिरीक्षक (IG) ↓ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP)

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available 7300134518, 7610010054

→ वर्तमान अध्यक्ष – Justice G.K. Vyas + दो सदस्य → राम सिंह झाला
- श्री महेश गोयल (वि.ज्ञा.)

योग्यता :-

1. अध्यक्ष हेतु योग्यता :- राज्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या सेवारत न्यायाधीश (2019 से)

2. सदस्य हेतु योग्यता :-

1 → (i) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या सेवारत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में सात वर्ष का अनुभव हो।

2. → सदस्य → मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान

Note :- यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदस्य को राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

नियुक्ति → राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।

→ समिति की संरचना →
1. मुख्यमंत्री → अध्यक्ष
2. विधानसभा में विपक्ष के नेता
3. विधानसभा अध्यक्ष
4. राज्य के गृहमंत्री

Note → यदि राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है तो

1. विधान परिषद का सभापति
2. विधानपरिषद में विपक्ष का नेता

भी सदस्य होगें।

कार्यकाल :- 6 या 10 वर्ष

→ अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है।

इस्तीफा – राज्यपाल को

निष्कासन प्रक्रिया – राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात।

• निष्कासन के आधार :- 1. कदाचार / असमर्थता
2. असमर्थता
3. लाभ का पद

• वेतन/भत्ते – अध्यक्ष → उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान
सदस्य → उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

• वार्षिक प्रतिवेदन – राज्य सरकार को।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

#आयोग के अध्यक्ष :-

1. जस्टिस कान्ता भटनागर → मद्रास उ. न्यायालय की मुख्य न्यायधीश
↳ न्यूनतम कार्यकाल
2. जस्टिस सगीर अहमद – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3. जस्टिस N.K. Jain – मद्रास व कर्नाटक उ. न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार
↳ सर्वाधिक कार्यकाल

आयोग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके।

4.) जस्टिस प्रकाश टाटिया → झारखण्ड उच्च न्यायालय के मु. न्यायाधीश

5. जस्टिस G.K. व्यास (वर्तमान अध्यक्ष) → राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष

1. श्री अमरसिंह गोदारा → प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष
2. श्री जगतसिंह
3. श्री पुखराज सिरवी
4. श्री H.R. कुड़ी
5. महेश चन्द्र शर्मा (हाल ही मे मृत्यु)

सदस्य के रूप मे सर्वाधिक कार्यकाल - श्री पुखराज सिरवी

सदस्य के रूप मे न्यूनतम कार्यकाल - श्री नमोनारायण मीणा (केन्द्र सरकार मे मंत्री रह चुके।)

THE NOTES HUB
All Competition Books & Notes are Available
7300134518, 7310010054

कानून की महत्वपूर्ण धाराएँ :-

धारा	प्रावधान
21.	गठन / संरचना (C)
22	नियुक्ति प्रक्रिया (A)
23	हटाने की प्रक्रिया (R)
24	कार्यकाल (T)
25	कार्यवाहक अध्यक्ष
28	वार्षिक प्रतिवेदन
33	आयोग की वित्तीय स्वायत्तता

आयोग की स्वायत्तता व स्वतंत्रता हेतु किए गए प्रावधान/उपाय :-

1. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया (एक समिति की सिफारिश पर)
2. कार्यकाल की निश्चितता (आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के)
   → 3 व 70 वर्ष जो भी पहले हो।
3. नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक।
4. हटाने की जटिल प्रक्रिया → राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्।
5. आयोग को प्राप्त वित्तीय स्वायत्तता। – (धारा 33 के अन्तर्गत)

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

1. स्वतः संज्ञान या शिकायत पर मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी मामलों पर शिकायतें प्राप्त करना।

Note :- केवल राज्य व समवर्ती सूची से सम्बन्धी मामलों पर शिकायत की जा सकती है।

2. आयोग को सुनवायी के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है :-

(i) लोकसेवक को नोटिस जारी करना।

(ii) लोकसेवक को गवाही व सबूत हेतु मानवाधिकार कार्यालय में बुलाना।

(iii) लोकसेवक का शपथ पत्र पर बयान दर्ज करना।

(iv) सरकारी कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज मंगवाना।

3. सुनवायी के पश्चात आयोग -

(i) लोकसेवक के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना।

(ii) सरकार को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या मुआवजे की सिफारिश करना।

(iii) लोकसेवक के विरुद्ध न्यायालय में अपील करना।

4. न्यायालय में लम्बित मामलों में सुनवायी करना। [माननीय न्यायालय की अनुमति से।]

5. मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों [NGO] को प्रोत्साहित करना।

6. मानवाधिकार सम्बन्धी जागरूकता हेतु सेमिनारों व व्याख्यानों का आयोजन करवाना।

7. मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी जागरूकता हेतु एक पत्रिका का प्रकाशन करना। → मानवाधिकार संदेश

8. राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।

9. राज्य में जेलों, पुलिस थानों, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नारी निकेतनों का निरीक्षण करना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7310010001

आयोग के लक्षित विषय।

1. महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की रक्षा।
2. जेलों व थानों में सुधार।
3. मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार।
4. धार्मिक असहिष्णुता। (मॉब लिंचिंग)

वे मामले जो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है :-

1. एक वर्ष से पुराने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलें।
2. सेना से सम्बन्धी मामलें।
3. वे मामले जो न्यायालय में लम्बित है।
4. वे मामले जो अन्य आयोग में विचाराधीन है।
5. यदि शिकायत अस्पष्ट हो।
6. यदि शिकायत लोकसेवक के विरुद्ध ना हो।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

आयोग की कमियाँ / आयोग दन्तविहीन बाघ के रूप में :-

1. आयोग की सिफारिशें या सलाह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।
2. किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या मुआवजे का अधिकार ना होना।

3. आयोग में अत्यधिक लम्बित शिकायतें।

4. अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद।

5. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया।

6. विभिन्न मामले आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर होना -

(i) एक वर्ष से पुराने मामले

(ii) सेना से सम्बन्धी मामले

(iii) स्थानीय पुलिस से सहयोग का अभाव।

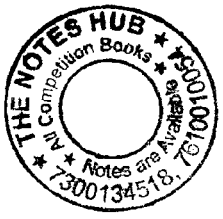

सुझाव :-

1. एक वर्ष से पुराने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर सुनवायी का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।

2. सेना/सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में जाँच करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

3. सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावकारिता बढ़ानी चाहिए अर्थात् सलाह/सिफारिश बाध्यकारी हो।

4. अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के अतिरिक्त सिविल सोसायटी के सदस्य भी शामिल किये जाने चाहिए।

3. राज्य सूचना आयोग [SIC]

→ प्रथम देश जहाँ सूचना का अधिकार लागू किया गया - स्वीडन (1766)

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु निर्देश दिए गए - S.P. गुप्ता बनाम भारत सरकार मामले में।

RTI कानून से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण संगठन

1. मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) - अरूणा रॉय

२. परिवर्तन → श्री अरविन्द केजरीवाल

पहला राज्य जहाँ सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया - तमिलनाडु (1996)

2nd गोआ (1997)

3rd राजस्थान (2000) → क्रियान्वयन 26 जनवरी 2001

राजस्थान सूचना आयोग

→ यह एक सांविधिक संस्थान है। क्योंकि इसकी स्थापना सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा-15 के अन्तर्गत की गई है।

→ स्थापना की अधिसूचना जारी हुई - 13 अप्रैल 2006
आयोग की स्थापना हुई → 18 April 2006

आयोग की संरचना :-

→ एक राज्य सूचना आयुक्त व 10 अन्य आयुक्तों का प्रावधान

वर्तमान संरचना :- 1+4 → श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़
↓ → शीतल धनखड़
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता → लक्ष्मण सिंह राठौड़
→ पूर्व dgp श्री M.L. लाठर

→ राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त → श्री M.D. कोरानी
2nd → T. श्रीनिवासन
3rd → श्री सुरेश चौधरी

योग्यता :- शिक्षाविद, लोकसेवक, वकील, समाजसेवक, न्यायिक अधिकारी, पत्रकार।

नियुक्ति :- राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।

समिति की संरचना :- 1. मुख्यमंत्री
2. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
3. मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री

कार्यकाल → 3 या 65 वर्ष जो भी पहले हो।

→ [2019 से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित]

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

वेतन भत्ते :- अध्यक्ष या राज्य सूचना आयुक्त :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान।

अन्य आयुक्त / सदस्य :- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

Note :- सूचना का अधिकार कानून संशोधन अधिनियम 2019 से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित।

शपथ :- राज्यपाल

शपथ :- राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा।

निष्कासन प्रक्रिया :-

1. राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात्। [कदाचार व असमर्थता के मामले में।]
2. राज्यपाल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाये जाने का प्रावधान।
3. दिवालियापन, नैतिक पतन, लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थता।

वार्षिक प्रतिवेदन :- राज्य सरकार को। [सूचना के अधिकार-2005 कानून की महत्वपूर्ण धाराएँ]

महत्वपूर्ण धाराएँ	प्रावधान
धारा 6(1)	आवेदन का प्रारूप
धारा 15	गठन / संरचना
धारा 16	कार्यकाल
धारा 17	निष्कासन प्रक्रिया

धारा 18, 19, 20, 25 → राज्य सूचना आयोग के कार्य

धारा 19 → अपील प्रक्रिया

धारा 19 (1) → प्रथम अपील अधिकारी

धारा 19 (3) → द्वितीय अपील अधिकारी

धारा 19 (7) → आयोग के आदेश बाध्यकारी

धारा 19 (8) → आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों का निरीक्षण व आदेश

कार्य :-

1. सूचना का अधिकार 2005 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. सरकारी विभागों, कार्यालयों पर जुर्माना लगाना। [250 - 25000]
3. सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना।
4. राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available 7300134518, 7610010054

नागरिक अधिकार पत्र – PRC

नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत → ब्रिटेन (1991) में हुई।
→ इसकी शुरुआत जॉन मेजर (U.K) के समय हुई।

→ चार्टर मार्क स्कीम का सम्बन्ध नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था से था।
→ भारत में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने की चर्चा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन (1997) में हुई।

इस व्यवस्था की शुरुआत प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल के समय हुई।

→ भारत का प्रथम मंत्रालय जहाँ नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई – स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (1997)

→ राजस्थान में → स्वास्थ्य व नागरिक आपूर्ति विभाग (1998)
→ राजस्व मण्डल द्वारा लागू (1999 ई. में)

नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था के उद्देश्य :-

→ प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।
→ लोकसेवकों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना।
→ प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी।
→ आम आदमी की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि।
→ प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

→ सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ाना।

नागरिक अधिकार पत्र के मुख्य तत्व :-

1. संगठन के उद्देश्य
2. संगठन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नाम।
3. सेवाओं को उपलब्ध कराने की समयावधि।
4. कार्यों का बँटवारा।
5. शिकायत की प्रक्रिया।

विधिक अधिकार :-

[1.] लोक सेवा गारन्टी कानून 2011
[क्रियान्वयन 14 नवम्बर 2011]

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

प्रावधान / विशेषताएँ :-

1. यह अधिकार नागरिक अधिकार पत्र का पूरक है।
2. इस कानून का क्रियान्वयन कर्ता विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग है। (ARD)
3. जब इस कानून को लागू किया गया तब इसमें 15 विभाग व 108 सेवाएँ शामिल थी। (वर्तमान में 27 विभाग व 287 सेवाएँ)
4. इस कानून के अन्तर्गत शामिल विभाग या कार्यालय को आवेदन के पश्चात् पावती / रसीद देनी होगी जिसमें समयावधि का उल्लेख होगा।

5. अपीलार्थी / आवेदक 60 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। (इस अपील का निस्तारण 21 दिवस में करना होगा।]

6. प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।

7. द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है :-

(i) लोकसेवक के विरुद्ध नोटिस जारी करना।

(ii) लोकसेवक को गवाही व सबूत हेतु कार्यालय में बुलाना।

(iii) लोकसेवक का शपथ पत्र पर बयान रिकॉर्ड करना।

(iv) किसी भी सरकारी कार्यालय से सरकारी दस्तावेज मंगवाना।

8. इस कानून के अन्तर्गत जुर्माने के प्रावधान भी किए गए है :-

(i) सेवाओं में देरी पर (250 - 5000 रु. तक)

(ii) सेवा प्रदान करने से मना करने पर (500 — 5000 रु.)

9. समयावधि की गणना में राजकीय अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा।

10. प्रत्येक सरकारी कार्यालय को सेवाओं का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर करना होगा।

11. लोकसेवक जुर्माने के विरुद्ध उस प्राधिकरण में अपील करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

12. इस कानून में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है।

2. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012

→ क्रियान्वयन 1 अगस्त 2012

प्रावधान / विशेषताएँ :-

1. यह नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है।
2. प्रत्येक कार्यालय में लोक सुनवायी अधिकारी पद का प्रावधान। [यह अपील का निस्तारण 15 दिवस में करेगा।]
3. इस कानून के प्रचार-प्रसार हेतु HELPDESK एवं सूचना एवं सुविधा केन्द्र हेतु प्रावधान किए गए है।
4. लोक सुनवायी अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिवस में अपील की जा सकती है। [प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण 21 दिवस में करना होगा।]
5. प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।
6. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी दोनों को सिविल प्रक्रिया

संहिता - 1908 की निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है :-

(i) लोकसेवक के विरुद्ध नोटिस जारी करना।

(ii) लोकसेवक को गवाह व सबूत हेतु कार्यालय में बुलाना।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7610010054

(iii) लोकसेवक का शपथ पत्र पर बयान दर्ज करना।

(iv) किसी भी सरकारी कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज मंगवाना।

7. इस कानून के अन्तर्गत लोकसेवकों के विरुद्ध जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। [500 - 5000 रु]

8. इस कानून के अन्तर्गत विभिन्न समितियों के गठन के प्रावधान किए गए हैं :-

(i) उपखण्ड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति (अध्यक्ष - उपखण्ड अधिकारी)

(ii) जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति - अध्यक्ष - जिला कलेक्टर

9. इस कानून के अन्तर्गत अपील साधारण कागज पर की जा सकती है।

10. लोकसेवक लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध उस प्राधिकरण को अपील करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

इस कानून में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है।

दोनों कानूनों का महत्व :-

1. प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।
2. लोकसेवकों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना।
3. प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी।
4. आम आदमी की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि।
5. प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि।
6. सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं में जन-भागीदारी में वृद्धि।

दोनों कानूनों की कमियाँ :-

1. कानूनों को लेकर जागरूकता का अभाव।
2. जटिल शब्दावली।
3. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी एक ही विभाग या पद सोपान से।
4. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के रिक्त पद।
5. अत्यधिक साधारण जुर्माना।

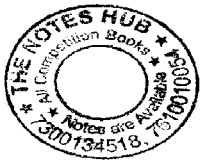

सुझाव :-

1. कानूनों को लेकर जन-प्रतिनिधि में जागरूकता को बढ़ावा।
2. अत्यधिक जटिल शब्दावली को सरल व आसान शब्दावली/भाषा में वर्णित करना।
3. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी का अलग-अलग विभाग से नियुक्ति।
4. स्वतंत्र आयोग।
5. जुर्माने के उच्च चरण।

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य –

मुख्यमंत्री	विशिष्ट कार्य
श्री टीकाराम पालीवाल	भूमि सुधार
श्री जयनारायण व्यास	दस्यु आतंक उन्मूलन
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	इंदिरा गांधी नहर एवं पंचायती राज संस्था
श्री भैरोसिंह शेखावत	अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना
श्री हरिदेव जोशी	माही बांध
श्री अशोक गहलोत	प्रशासनिक मितव्ययता, विद्युत सुधार, अतिक्रमण मुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, सुनवाई का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम
श्रीमती वसुंधरा राजे	महिला सशक्तीकरण

THE NOTES HUB All Competition Books * Notes are Available 7390134518, 7610010053

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल

क्र. सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल		टिप्पणी
		कब से	कब तक	
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949	05.01.1951	• जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभागों के सचिव भी रहे। • वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना। • वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना (यहीं इनका समाधि स्थल है)। • 1947 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। • 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • 30 मार्च 1949 राज. राज्य की स्थापना पर प्रथम मुख्यमंत्री लोक सभा सदस्य भी रहे। • इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया। • 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। • जयपुर राज्य प्रजामंडल के दो बार अध्यक्ष

				रहे। • आत्मकथा– 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' • लोकप्रिय गीत– 'प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः' • हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म श्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2.	श्री सी.एस. वैंकटाचारी	06.01. 1951	26.04.1951	• 1922 में भारतीय सिविल सेवा में आए। • उत्तर प्रदेश में नौकरशाह के बतौर सेवाएँ दी। • बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। • राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के सचिव रहे। • कनाड़ा में भारत के उच्चायुक्त रहे। • Witness to the entury नामक पुस्तक लिखी। • जोधपुर राज्य के दीवान भी रहे। • संविधान सभा के सदस्य रहे। • राजप्रमुख के सलाहकार भी रहे। • इनके कार्यकाल की अवधि में ICS अधिकारियों का मंत्रिमण्डल कार्यरत रहा।
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04. 1951 01.11. 1952	03.03.1952 12.11.1952	• मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामण्डल, यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक। • 1948 जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव हारने पर टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने। • 'किशनगढ़' के उपचुनाव में जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बने (1 नवम्बर 1952) • राज्यसभा के 2 बार सदस्य चुने गए। • मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए।

THE NOTES HUB
All Competition Books

				• केंद्र द्वारा मनोनीत होने वाले तीसरे मुख्यमंत्री। • प्रथम विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में। • मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे। • इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी हुआ।
4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03. 1952	31.10.1952	• प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री • प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचित क्षेत्रों से 160 सीटों पर चुनाव हुए (120 निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय, 20 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय) • जय नारायण व्यास की सरकार में मंत्री रहे। फिर मुख्यमंत्री बने। • 2 बार एम.एल.ए. एक बार लोक सभा (स्वतंत्र) सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रहे (ऐसे पहले व्यक्ति) • दो विधानसभा क्षेत्र मलारना चौड़ व महवा से विधायक रहे।
5.	श्री जयनारायण व्यास	01.11. 1952	12.11.1954	
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.11. 1954	11.04.1957	• मुम्बई की छात्र राजनीति में रहते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। • मेवाड़ प्रजामण्डल में शामिल हुए। • राजस्थान संघ के समय सिंचाई व श्रम मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास सरकार में राजस्व, सिंचाई व श्रम जैसे विभागों में मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास द्वारा 'राम राज्य परिषद' को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध हुआ। जिसके बाद हुए विश्वास मत में मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों
		13.04. 1957	11.03.1962	
		12.03. 1962	13.07.1971	
		26.04. 1967	09.07.1971	

				से हराया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम–1959 इनके समय में पारित हुआ। • तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। • इन्हें "आधुनिक राजस्थान का निर्माता" भी कहा जाता है। • 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। • पंचायती राज व्यवस्था– 1959 शुरु की। नागौर के बगदरी गांव में शुभारंभ हुआ। • उस समय के केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सरन कुमार जो बाद में नागौर से सांसद बने। • सर्वाधिक अवधि के लिए व सर्वाधिक चार बार मुख्यमंत्री रहे। • इनके कार्यकाल में पहली महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल बनी। • 1962 में 1949 से शुरु की गई संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। • मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले नेता रहे। • नाथद्वारा मंदिर में सोने की गड़बड़ी का आरोप लगा इस दौरान अंतरजातीय विवाद रहा और नाथद्वारा बाजार बंद रहे। • उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे। • इंदिरा गांधी नहर चालू हुई। • स्वतंत्रता पश्चात् किसी राज्य में सत्तारुढ़ दल के विधायक दल के नेता पद के लिए पहला मुकाबला राजस्थान में 06 नवम्बर 1954 में रहा जिसमें मोहन लाल सुखाड़िया ने तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को हराया।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

7.	श्री बरकतुल्ला खाँ	09.07. 1971	11.10.1973	• जोधपुर निवासी बरकतुल्ला खाँ की 11 अक्टूबर 1973 को हार्ट अटैक से उनके कार्यालय में मृत्यु हुई। • 1971 के भारत–पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे।
8.	श्री हरिदेव जोशी	11.10. 1973	29.04.1977	• बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक। • असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। • इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। • सम्पूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो प्रथम दस विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। • देश में लगे आपातकाल के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। • तीन बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। • विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे। • इनका एक हाथ कटा हुआ था। • विधानसभा में सती प्रथा विरोधी कानून पास करवाया। • इनके कार्यकाल में सरिस्का में केंद्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी।
9.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06. 1977	16.02.1980	• 8वें मुख्यमंत्री रहे। • उपराष्ट्रपति रहे। • मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। • 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी। • 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुशील कुमार शिदें को हराया • 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हारे।

				• 2 बार विपक्ष के नेता रहे। • पहली बार जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान पुलिस में निरीक्षक पद पर कार्य किया। • दस बार विधायक रहे। • इनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा समय से पहले भंग की गई। • राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। • प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य थे, फिर कोर्ट छबड़ा से चुनाव लड़ा। • राज्य के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री। • पद्म विभूषण से सम्मानित।
10.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	06.06.1980	13.07.1981	• हरियाणा व बिहार के राज्यपाल रहे। • 4 बार लोक सभा सदस्य रहे एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे। • राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। • 25 वर्ष तीन महीने की आयु में पहली बार सांसद चुने गए। द्वितीय लोकसभा में सबसे युवा सांसद बने। • इनकी पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया भी लोकसभा सदस्या रही। • राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू की। • कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। • जब मुख्यमंत्री बने उस समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि बयाना से लोकसभा सदस्य व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में वित्त राज्य मंत्री थे।
11.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981	23.02.1985	• जन्म– मध्य प्रदेश

				• असम के राज्यपाल रहे। • लोकसभा सदस्य रहे। • शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि,पशुपालन, डेयरी व आयोजना आदि विभागों के मंत्री रहे। • राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। • विधानसभा चुनाव के दौरान डीग विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मानसिंह की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु होने के बाद माथुर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। • यह उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे।
12.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02. 1985	10.03.1985	• मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। • विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। • मुख्यमंत्री रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए।
13.	श्री हरिदेव जोशी	10.03. 1985	20.01.1988	• 1987 में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरु किया।
14.	श्री शिवचरण माथुर	20.01. 1988	04.12.1989	
15.	श्री हरिदेव जोशी	04.12. 1989	04.03.1990	
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.03. 1990	15.12.1992	• अपनी सरकार बचाने के लिए 1990 में पहली बार निर्दलीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए।
		04.12. 1993	01.12.1998	
17.	श्री अशोक गहलोत	01.12. 1998	08.12.2003	• 3 बार मुख्यमंत्री। • सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे। • AICC के महासचिव रहे।

THE NOTES HUB ★ All Competition Notes and Books Available ★ 10010054

				• केन्द्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन, खेल और टैक्सटाइल मंत्री रहे। • 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। • 5 बार विधायक रहे (1999 से लगातार) • NSUI के अध्यक्ष रहे। • राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। • इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के मंत्रिपरिषद में मंत्री रहे। • शिवचरण माथुर की सरकार में गृहमंत्री रहे। • लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
18.	श्रीमती वसुंधरा राजे	08.12.2003	13.12.2008	• केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री रही। • 5 बार विधानसभा सदस्य और 5 बार लोकसभा सदस्य रही। • केंद्र सरकार में लघु उद्योग, कार्मिक, प्रशिक्षण, पेंशन प्रशासनिक सुधार, परमाणु ऊर्जा की राज्य मंत्री रही। • अंतरिक्ष विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला। • राजस्थान भाजपा की अध्यक्ष रही। • राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता रही। • वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। • 2003 से लगातार विधायक रही। 1985–90 में भी विधायक रही। • राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला।
19.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008	13.12.2013	
20.	श्रीमती वसुंधरा राजे	13.12.2013	16.12.2018	

21.	श्री अशोक गहलोत	17.12. 2018	लगातार	

पहली विधानसभा में टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे।

चौथी विधानसभा (मोहनलाल सुखाड़िया, बरकुतल्लाह खां) पांचवीं विधानसभा (बरकुतल्ला खां, हरिदेव जोशी) आठवीं विधानसभा (हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर) इन विधानसभाओं में दो–दो मुख्यमंत्री रहे।

7वीं विधानसभा में जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा एवं शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे।

1990 या 9वीं विधानसभा से सभी विधानसभा में एक ही मुख्यमंत्री रहे।

सबसे ज्यादा 13 सत्र 5वीं विधानसभा में हुए।

सबसे कम 6 सत्र 6वीं विधानसभा में हुए।

सबसे ज्यादा 306 बैठक दूसरी विधानसभा में हई।

सबसे कम 95 बैठक 9वीं विधानसभा में हुई।

सबसे ज्यादा काम 1665.57 घंटे दूसरी विधानसभा में हुआ।

सबसे कम काम 691.52 घंटे 9वीं विधानसभा में हुआ।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books are Available ★ 7410010054

राजस्थान विधान सभा में महिला प्रतिनिधित्वः– पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ जिसमें चार महिलाओं ने भाग लिया चारों ही चुनाव हार गईं। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952–57 की अवधि में उप चुनाव संपन्न हुए जिसमें बांसवाड़ा (सामान्य) की विधानसभा से 1953 में यशोदा देवी निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित होकर आई। प्रथम विधानसभा में उप चुनाव में दूसरी महिला श्रीमती कमला बेनीवाल थी जो 1954 में विधायक निर्वाचित हुई। सबसे ज्यादा महिलाओं ने 2018 के चुनाव में भाग लिया।

सबसे ज्यादा महिला विधायक 2008 (28) व 2013(28) थीं।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक कार्यकाल – मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल – हीरालाल देवपुरा (16 दिन)

- प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री – बरकतुल्ला खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- प्रथम गैर कॉंग्रेस मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- पहली महिला मुख्यमंत्री – वसुंधरा राजे
- भारत पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री – बरकतुल्ला खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री – हरिदेव जोशी
- प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री – जगन्नाथ पहाड़ियाँ
- वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे – हरिदेव जोशी एवं मोहनलाल सुखाड़िया
- मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे – शिवचरण माथुर
- वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे – जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत
- मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा दो बार शपथ दिलायी गयी – मोहनलाल सुखाड़िया (गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा)
- वह मुख्यमंत्री जो कभी एम.एल.ए. चुनाव नहीं हारे – श्रीमती वसुंधरा राजे
- वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे – जयनारायण व्यास एवं भैरोंसिंह शेखावत
- वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे – हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत
- वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हीरालाल देवपुरा
- वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे – श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत
- वह मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी रहे – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे – अशोक गहलोत
- राजस्थान के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- राजस्थान के केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे – भैरोंसिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे
- एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –

  1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया (4 बार)
  2.श्री हरिदेव जोशी (3 बार)
  3.श्री भैरोंसिंह शोखावत (3 बार)

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100061

4.श्री अशोक गहलोत (3 बार)

5. श्री शिवचरण माथुर (2 बार)

6. श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार)

7. श्री जयनारायण व्यास (2 बार)

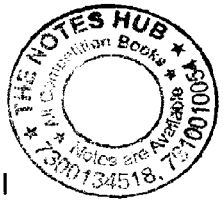

- दूसरी विधानसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था।
- सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष (तीन) 6, 12, 13वीं विधानसभा में रहे।
- नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरणा दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे।
- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं– हीरालाल शास्त्री, सी.एम. वैंकटाचारी, जयनारायण व्यास
- राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने जीवनकाल में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे – टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्लाह खान, भैरोंसिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे
- राज्य के मुख्यमंत्री जो किसी राज्य में राज्यपाल रहे – मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया

निजी विधेयक जो विधानसभा में लाए गए

विधानसभा	निजी विधेयक की संख्या	स्वीकृत विधेयक
पहली	9	2 (सर्वाधिक)
दूसरी	8	1
तीसरी	16 (सर्वाधिक)	–
चौथी	5	–
पांचवीं	4	1
छठी	4	–
सातवीं	5	–
आठवीं	0	–
नवीं	3	–
दसवीं	1	–
ग्यारहवी	1	–
बारहवीं	1	–

तेरहवीं – पंद्रहवीं	0	–

2019 में पांच व 2020 में आठ अध्यादेश लाए गए थे

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री (गैर संवैधानिक पद)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	दल	मुख्यमंत्री
1.	टीकाराम पालीवाल	1 नवम्बर 1952 से 13 नवम्बर 1954	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जय नारायण व्यास
2.	हरिशंकर भाभड़ा	4 दिसम्बर 1993 से 30 नवम्बर 1998	भारतीय जनता पार्टी	भैरोंसिंह शेखावत
3.	बनवारीलाल बैरवा	19 मई 2002 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत
4.	कमला बेनीवाल	12 जनवरी 2003 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत
5.	सचिन पायलट	24 दिसम्बर 2018 से 14 जुलाई 2020	भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस	अशोक गहलोत

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है

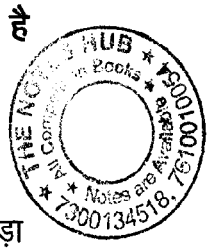

- राजस्थान में अब तक उपमुख्यमंत्री – 5
- राजस्थान की एक मात्र महिला मुख्यमंत्री – श्रीमती कमला बेनीवाल
- राजस्थान के एक मात्र उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हरिशंकर भाभड़ा
- उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – हरिशंकर भाभड़ा
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उपमुख्यमंत्री रहे – बनवारी लाल बैरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल एवं सचिन पायलट

क्र. स.	राष्ट्रपति शासन	कारण	राज्यपाल	मुख्यमंत्री
1.	13 मार्च 1967 – 26 अप्रैल 1967 (सबसे कम समय 42 दिन)	स्पष्ट बहुमत नहीं मिला	डॉ. संपूर्णानन्द सरदार हुकूमसिंह	श्री मोहनलाल सुखाड़िया

2.	30 अप्रैल 1977 – 21 जून 1977	सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था केंद्र सरकार ने	श्री वेदपाल त्यागी श्री रघुकुल तिलक	श्री हरिदेव जोशी
3.	17 फरवरी 1980 – 5 जून 1980	केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया।	श्री रघुकुल तिलक	भैरोंसिंह शेखावत
4.	15 दिसम्बर 1992 – 3 दिसम्बर 1993 तक (सर्वाधिक समय तक)	बाबरी मस्जिद ढहा दिए जाने के कारण	डॉ. एन चेन्ना रेड्डी धनिकलाल मण्डल बलिराम भगत	भैरोंसिंह शेखावत

THE NOTES HUB
Notes are Available
7300134518, 7610010054

राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश व स्वीकृत विधेयक –

वर्ष	अध्यादेश	विधेयक
2018	8	39
2019	3	37
2020	8	37
2021	0	20
2022	0	21
2023 (march तक)	0	6

राजस्थान के राज्यपाल एवं कार्यकाल

क्र. सं.	राज्यपाल	कार्यकाल		टिप्पणी
		कब से	कब तक	
1.	श्री सवाईमान सिंह (राज प्रमुख)	30.03.1949	03.10.1956	• जयपुर के पूर्व महाराजा, इस पद को सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया। • प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी।
2.	श्री गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	01.11.1956	15.04.1962	• सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। • पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके है। • दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष भी रहे। • राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधानसभा के स्थान पर राजभवन में रखा गया।
3.	श्री सम्पूर्णानन्द	16.04.1962	15.04.1967	• उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री (1954–60 तक) रहे। • असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। • जयपुर के सांगानेर की खुली जेल

				इन्हीं की देन है। • इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। • इंटर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। • 'समाजवाद' पुस्तक लिखी।
4.	श्री हुकुम सिंह	16.04. 1967	19.11. 1970	• लोक सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी (1962–1967) रहे। • 1951 में दिल्ली में स्पॉक्समैन पत्रिका प्रमोचन किया। • राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी रहे। • संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम व द्वितीय लोकसभा सदस्य।
		24.12. 1970	30.06. 1972	
5.	श्री जगत नारायण(कार्यवाहक)	20.11. 1970	23.12. 1970	• न्यायाधीश।
6.	श्री सरदार जोगिन्दर सिंह	01.07. 1972	14.02. 1977	• संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य • नेशनल राईफल एसोसिएशन के महासचिव रहे। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया।
7.	श्री वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15.02. 1977	11.05. 1977	• न्यायाधीश।
8.	श्री रघुकुल तिलक	12.05. 1977	08.08. 1981	• अप्रैल 1977 से जून 1977 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। • वर्ष 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • काशी विद्यापीठ के वाईस चांसलर रहे। • राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो

NOTES HUB Notes are Available 7300134518, 7610010054

				राजस्थान निवासी थे। • सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल। • इन्हें पद से बर्खास्त किया गया।
9.	श्री के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08.08. 1981	05.03. 1982	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे। • न्यायाधीश।
10.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06.03. 1982	04.01. 1985	• एयर चीफ़ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेनाध्यक्ष थे। • उन्हें 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। • हिन्दुस्तान ऐयरोनोटिक्स के अध्यक्ष रहे। • पद्मविभूषण। • भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष। • इनकी आत्मकथा – स्वीट एण्ड सोर
		01.02. 1985	03.11. 1985	
11.	श्री पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	03.01. 1985	03.11. 1985	• न्यायाधीश।
12.	डॉ. पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	04.11. 1985	19.11. 1985	• न्यायाधीश।
13.	श्री बसंतराव (वसंतदादा) पाटिल	20.11. 1985	14.10. 1987	• महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। • महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। • लोक सभा सदस्य रहे। • पद्मभूषण

NOTES HUB

				• भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया।
14.	श्री जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक)	15.11.1987 03.02.1989	19.02.1988 19.02.1989	• राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को स्पथ दिलाई।
15.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1988 20.02.1989	02.02.1989 02.02.1990	• राज्य सभा सदस्य • भारत सरकार में उप–मंत्री, इस्पात एवं खनन मंत्रालय। • कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए इस दौरान जे. एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे।
16.	श्री मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक)	03.02.1990	13.02.1990	• राजस्थान उच्च न्यायालय केपूर्वमुख्य न्यायाधीश रहे। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष रहे।
17.	श्री देवी प्रसाद चटोपाध्याय	14.02.1990	25.08.1991	• इण्डियन कांउसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष व स्थापना कर्ता। • पद्मविभूषण। • राज्यसभा सदस्य।
18.	श्री स्वरूप सिंह (राज्यपाल गुजरात)	26.08.1991	04.02.1992	• दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्व वाईस चांसलर • गुजरात व केरला के पूर्व राज्यपाल रहे। • संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010054

				• राज्यसभा सदस्य रहे। • सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
19.	श्री एम. चेन्न रेड्डी (मर्री चेन्ना रेड्डी) (अतिरिक्त प्रभार)	05.02.1992	30.05.1993	• आन्ध्र प्रदेश केपूर्वमुख्यमंत्री हैं। • वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। • तेलंगाना आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • अंतिम राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा।
20.	श्री धनिक लाल मण्डल(राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	31.05.1993	29.06.1993	• राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। • लोकसभा सदस्य। • बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे।
21.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993	30.04.1998	• भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया – क्विट इंडिया, आवर स्ट्रगल • भारत सरकार में योजना राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री रहे। • लोक सभा अध्यक्ष भी रहे। • अंतरिम संसद के सदस्य रहे। • पहली से पांचवी तक एवं सातवीं व आठवीं लोकसभा के सदस्य रहे। • केंद्रीय सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। • राष्ट्रदूत पत्र (हिंदी साप्ताहिक) का प्रकाशन शुरु किया।
22.	श्री दरबार सिंह	01.05.1998	24.05.1998 (मृत्यु)	• पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। • राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

				• मृत्यु का कारण–पोकरण मे भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से मृत्यु हुई। • पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे।
23.	श्री एन.एल. टिबरेवाल (नवरंग लाल टिबरेवाल) (कार्यवाहक)	25.05.1998	15.01.1999	• राजस्थान के झुंझुनू जिले के संबंध व राजस्थान उच्च न्यायायलय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। • राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे ।
24.	श्री अंशुमान सिंह	16.01.1999	13.05.2003	• इलाहाबाद व राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। • 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • हाल ही में कोविड–19 के मृत्यु।
25.	श्री निर्मल चन्द्र जैन	14.05.2003	22.09.2003 (मृत्यु)	• भारतीय वित्त आयोग के सदस्य • पद पर रहते हुए मृत्यु। • लोकसभा सदस्य रहे। • मध्यप्रदेश राज्य के महाधिवक्ता रहे।
26.	श्री कैलाशपति मिश्र (राज्यपाल गुजरात) अतिरिक्त प्रभार	22.09.2003	13.01.2004	• भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया।
27.	श्री मदनलाल खुराना	14.01.2004	01.11.2004	• दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री • वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलात एवं पर्यटन मंत्री • इन्हें 'दिल्ली का शेर' भी कहा जाता था। • राज्यपाल रहते राजस्थान में "जनता दरबार" लगाने के कारण सुर्खियों में रहे। • अपने पद से त्यागपत्र दिया।
28.	श्री टी.वी. राजेश्वर (राज्यपाल उ.प्र.) अतिरिक्त प्रभार	01.11.2004	08.11.2004	• भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7301315118, 7910100054

				• इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख। • सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। • भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव। • उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे।
29.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	08.11.2004	23.06.2007 (त्याग पत्र)	• विधायक व लोकसभा सदस्य रही। • 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। • मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **"ऑर्डेन मेक्सिकाना डेल एग्वेला एज्टेका"** (ऑर्डर ऑफ एज्टेक ईगल) से सम्मानित किया गया। • राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। • महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों में मंत्री रहीं। • राज्यसभा के उपसभापति।
30.	डॉ. ए.आर. किदवाई (अख्लाक उर रहमान किदवई) (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	23.06.2007	06.09.2007	• एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, जो हरियाणा, बिहार, राजस्थान ऑर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। • किदवई 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोगके अध्यक्ष रहे। • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयके कुलाधिपति रहे। • अध्यक्ष, चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट्स पूल। • राज्यसभा सदस्य भी रहे।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

				• जम्मू एवं कश्मीर बैंक के निर्देशक भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए।
31.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यवाहक)	06.09.2007	01.12.2009 (मृत्यु)	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे।
32.	श्रीमती प्रभाराव (राज्यपाल हिमाचल प्रदेश) अतिरिक्त प्रभार	03.01.2009	24.01.2010	• लोकसभा सदस्या रही। • पद पर रहते हुए मृत्यु।
33.	श्रीमती प्रभाराव (कार्यवाहक)	25.01.2010	26.04.2010 (मृत्यु)	
34.	श्री शिवराज पाटिल (राज्यपाल पंजाब) अतिरिक्त प्रभार	28.04.2010	12.05.2012	• भारत के विदेश मंत्री • भारत के गृहमंत्री रहते हुए मुम्बई में आतंकवादी द्वारा हमला। • CSIR के उपाध्यक्ष रहे। • लोक सभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वेश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारम्भ किया गया। (1992) • केंद्रीय सरकार में रक्षामंत्री भी रहे। • राज्यसभा सांसद भी रहे। • केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे।
35.	श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा (कार्यवाहक)	12.05.2012	07.08.2014	• उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया। • वे मर्सी रवि अवॉर्ड से सम्मानित हैं। • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। • चार बार लगातार राज्यसभा सदस्या

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

				रही। • लोकसभा सदस्या रही। • केंद्रीय सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर आसीन रही। • 1989 में महिलाओं के विकास की विस्तृत भावी योजना का मसौदा तैयार किया। • राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं।
36.	श्री राम नाईक (अतिरिक्त प्रभार)	08.08.2014	03.09.2014	• भारत सरकार में ऑयल एवं नेचुरल गैस मंत्री। • केंद्रीय सरकार में रेलमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे।
37.	श्री कल्याण सिंह	09.09.2014	08.09.2019	• दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। • विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। • जुलाई 2021 में मृत्यु। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए।
38.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019	लगातार	• भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे। • तीन बार राज्यसभा सदस्य। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • 'निमित्त मात्र हूँ मैं' आत्मकथा लिखी।

THE NOTES HUB
Notes are Available
7300134518, 7610010054

- **राजस्थान के प्रथम राज्यपाल –** गुरूमुख निहाल सिंह
- **राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल–** 1. प्रतिभा पाटिल
  2. प्रभा राव
  3. माग्रेट अल्वा
- **राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ –**
  - ✓ दरबारा सिंह,
  - ✓ निर्मलचन्द जैन,
  - ✓ शिलेन्द्र कुमार सिंह,
  - ✓ श्रीमती प्रभा राव

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय रहे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री –

राज्यपाल	मुख्यमंत्री
➢ डॉ. सम्पूर्णानन्द (1967)	➢ मोहनलाल सुखाड़िया (1967)
➢ सरदार हुकुमसिंह (1967)	
➢ रघुकुल तिलक (1977,1980)	➢ हरिदेव जोशी (1977) ➢ भैरोंसिंह शेखावत (1980)
➢ डॉ. एम. चेन्नारेडी (1992–1993)	➢ भैरोंसिंह शेखावत (1992)
➢ बलिराम भगत (1993)	

- **1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री –** हरिदेव जोशी,
- **1975 के आपातकाल के समय राज्यपाल –** सरदार जोगेन्द्र सिंह

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010054

- **वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनो के सदस्य रहे है –**
  1. कलराज मिश्र
  2. मारग्रेट अल्वा
  3. सरदार जोगिंदर सिंह
  4. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
- **वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे है –**
  - ✓ बलीराम भगत
  - ✓ शिवराज पाटिल
  - ✓ सरदार हुकम सिंह

- **वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा/रही –** प्रतिभा पाटिल
- **राज्यपाल जो किसी विधान सभा में स्पीकर रहा है –** श्री गुरुमुख निहाल सिंह, श्री दरबारा सिंह, श्री धनिक लाल मंडल
- **वह राज्यपाल जो किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं –**
  - ✓ कल्याणसिंह,
  - ✓ मदनलाल खुराणा,
  - ✓ एम.चेन्नारेडी,
  - ✓ वसंतदादा पाटिल,
  - ✓ सम्पूर्णानन्द,
  - ✓ गुरुमुख निहाल सिंह
- **सर्वाधिक समय तक राज्यपाल–**गुरुमुख निहाल सिंह
- **राज्यपाल पद पर महिलाएँ –**
  - ✓ श्रीमती प्रतिभा पाटिल
  - ✓ श्रीमती प्रभा राव
  - ✓ श्रीमती मारग्रेट अल्वा
- **वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे है –**
  - ✓ नवरंग लाल टिबरेवाल
  - ✓ वेदपाल त्यागी
  - ✓ मिलाप चन्द जैन
  - ✓ स्वरूप सिंह
- **सबसे कम समय पर राज्यपाल रहे है –**टि.वी. राजेश्वर
- **श्री गुरुमुख निहाल सिंह, डॉ. सम्पूर्णानन्द, सरदार हुकूम सिंह, श्री जोगिंदर सिंह, श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके।**
- राज्यपाल को सरोजनी नायडू ने **"सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया"**, विजय लक्ष्मी पण्डित ने **"वेतन का आकर्षण"**, पट्टाभी सीतारमैया ने **"अतिथि सत्कार करने वाला"**, मारग्रेट अल्वा ने **"सरदर्द"** कहा है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष

क्रमांक	अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक
1.	सर एस. के. घोष, (मुख्य न्यायाधीश), कार्यवाहक	22.12.1949	25.01.1950
2.	श्री एस. सी. त्रिपाठी (यूपीएससी सदस्य भी रहे)	28.07.1950	07.08.1951
3.	श्री डी.एस. तिवारी (अधिकतम कार्यकाल)	08.08.1951	17.01.1958
4.	श्री एम. एम. वर्मा	18.01.1958	03.12.1958
5.	श्री एल एल जोशी, आईएएस (कार्यवाहक)	04.12.1958	31.07.1960
6.	श्री वी. वी. नार्लीकर (प्रोफेसर एवं प्रमुख) (BHU के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे)	01.08.1960	31.07.1966
7.	डॉ बी एल रावत, आईएएस	01.08.1966	03.09.1966
8.	श्री आर. सी. चौधरी, आरएचजेएस	04.09.1966	08.10.1971
9.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	09.10.1971	23.06.1973
10.	श्री आर.एस. कपूर (डीआईआर। कॉलेज शिक्षा।)	24.06.1973	10.06.1975
11.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस	27.06.1975	30.06.1979
12.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस	01.07.1979	10.09.1980
13.	श्री हरि दत्त गुप्ता (मुख्य अभियांत्रिकी)	11.09.1980	09.06.1983
14.	श्री एस. अदावियाप्पा (मुख्य अभियांत्रिकी)	10.06.1983	26.03.1985
15.	डॉ. डी. डी. चव्हाण (प्रो.)	27.03.1985	07.11.1985
16.	श्री जे.एम. खान, आईएएस	08.11.1985	27.11.1989
17.	श्री एस.सी. सिंगारिया (कार्यवाहक)	28.11.1989	04.09.1990
18.	श्री यतींद्र सिंह, आईएएस	05.09.1990	06.10.1995
19.	श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस, (एससी आयोग के चैयरमेन भी रहे), (झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से विधायक रहे एवं जिलाप्रमुख भी रहे)	06.10.1995	30.09.1997
20.	श्री पी.एस. यादव, आईपीएस	01.10.1997	06.11.1997
21.	श्री देवेंद्र सिंह, आईपीएस	06.11.1997	30.12.2000
22.	श्री एन. के. बेरवा, आईएएस	31.12.2000	22.03.2004
23.	श्री एस.एस. टाक (कार्यवाहक) (प्रो.)	26.03.2004	15.07.2004
24.	श्री गोविंद सिंह टोंक(सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी), (उदयपुर के महापौर भी रहे)	15.07.2004	04.07.2006
25.	श्री एच.एन. मीणा, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04.07.2006	19.09.2006
26.	श्री सी.आर. चौधरी (कॉलेज व्याख्याता रहे, आरएएस बने फिर आईएएस प्रमोट हुए, नागौर लोकसभा से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे)	29.09.2006	28.02.2010
27.	श्री महेंद्र लाल कुमावत, आईपीएस (सेवानिवृत्त), (बीएसएफ के डीजी रहे, सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी रहे, आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में GREY HOUNDS के चीफ रहे)	28.02.2010	01.07.2011

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

28.	प्रो. बी.एम. शर्मा (कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी रहे)	01.07.2011	31.08.2012
29.	डॉ हबीब खान गौरन, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	31.08.2012	22.09.2014
30.	डॉ. आर.डी. सैनी (कार्यवाहक)	24.09.2014	10.08.2015
31.	डॉ एल के पंवार, आईएएस (सेवानिवृत्त), (राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी हैं।)	10.08.2015	10.07.2017
32.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	11.07.2017	28.09.2017
33.	डॉ. राधे श्याम गर्ग	18.12.2017	01.05.2018
34.	श्री दीपक उप्रेती (आईएएस सेवानिवृत्त)	23.07.2018	14.10.2020
35.	डॉ. भूपेंद्र सिंह (आईपीएस सेवानिवृत्त), (राजस्थान के डीजीपी रहे, RPA के निदेशक रहे, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी रहे।)	14.10.2020	01.12.2021
36.	डॉ. शिवसिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	02.12.2021	29.01.2022
37.	श्री जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक)	01.02.2022	15.02.2022
38.	श्री संजय क्षोत्रीय	वर्तमान	

सदस्य

क्रमांक	सदस्य का नाम	कब से	कब तक
1.	श्री देवी शंकर तिवारी (अध्यक्ष भी रहे)	26.01.1950	07.08.1951
2	श्री एन.आर. चन्ड़ोरकर	26.01.1950	31.12.1950
3	श्री वी.आर. अडिगे	17.02.1951	16.02.1957
4	श्री एम. एम. वर्मा (अध्यक्ष भी रहे)	28.06.1952	20.01.1958
5	श्री एल एल जोशी, आईएएस (कार्यवाहक अध्यक्ष रहे)	01.03.1957 और 01.08. 1960	03.12.1958 और 20.11. 1961
6	श्री र'ाुकुल तिलक, कुलपति (राज्यपाल भी रहे)	04.02.1958	07.01.1960
7	श्री एस.एल. आहूजा, आईएएस	01.12.1959	17.11.1964
8	श्री श्याम लाल, आईएएस	17.04.1961	15.04.1966

THE NOTES HUB All Competition Books

9	डॉ बी एल रावत, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	04.09.1961	04.09.1966
10	श्री आर सी चौधरी, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	20.03.1965	07.02.1967
11	श्री आर.एन. हवा, आईएएस	27.07.1966	19.07.1970
12	श्री एस. डी. उज्जवल, आईएएस (मुख्य सचिव भी रहे)	31.05.1967	05.01.1970
13	श्री शिव शंकर, आईएएस	29.07.1967	10.09.1970
14	श्री बी.डी. माथुर	11.11.1968	08.10.1971
15	श्री वी.डी. शर्मा, आईएएस	11.06.1970	06.03.1973
16	श्री आर.एस. कपूर (अध्यक्ष भी रहे)	11.06.1970	23.06.1973
17	श्री धूलेश्वर मीणा, (लोकसभा व राज्यसभा सदस्य रहे)	01.01.1972	02.01.1978
18	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	07.08.1972	27.06.1975
19	श्री डी.एन. हांडा, आईएएस	05.04.1973	10.12.1974
20	श्री एन.एल. जैन, पूर्व. अध्यक्ष, आर.एल.ए.	27.07.1974	03.10.1979
21	श्री हरि द ा गुप्ता (अध्यक्ष भी रहे)	26.04.1975	10.09.1980
22	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	30.07.1977	30.06.1979
23	श्री एस. अदवियप्पा (अध्यक्ष भी रहे)	12.09.1979	09.06.1983

24	डॉ. दीन दयाल चव्हाण (अध्यक्ष भी रहे)	08.11.1979	26.03.1985
25	श्री जे.एम. खान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	06.11.1982	07.11.1985
26	श्री बनवारी मल, आईपीएस	04.07.1984	27.06.1988
27	प्रो. दूल सिंह	06.07.1984	22.09.1986
28	डॉ. देवी सिंह सारस्वत	16.12.1985	22.01.1988
29	श्री सुगन चंद सिंगारिया	28.05.1986 और 05.09.1990	26.11.1989 और 27.05.1992
30	श्री सुभामा चंद्र टंडन, आईपीएस	01.12.1987	06.11.1991
31	प्रो. के. एल. कमल	16.09.1988	11.09.1992
32	डॉ जी पी पिलानिया, आईपीएस (डीजीपी, राज्यसभा सांसद भी रहे)	22.12.1989	17.02.1994
33	श्रीमती कांता खतूरिया, पूर्व. विधायक	22.12.1989	23.04.1995 (इस्तीफा)
34	श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	31.10.1992	06.10.1995
35	श्री पी.एस. यादव, आईपीएस (अध्यक्ष भी रहे)	28.07.1993	30.09.1997
36	श्रीमती कमला भील, पूर्व. राज्य मंत्री, आर.एल.ए.	28.07.1993	27.07.1999
37	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03.04.1995	05.08.2000

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010054

38	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18.01.1996	18.01.2002
39	श्री ओ.पी. गुप्ता, पूर्व. मुख्य सचेतक आर.एल.ए.	26.12.1997	04.06.2003
40	श्री दलीप सिंह	27.12.1997	30.06.1999
41	डॉ. श्याम सिंह टाक	10.11.1999	09.11.2005
42	श्री एम.एल. परिहार	14.12.1999	14.03.2001
43	प्रो. (डॉ.) एच.ए.एस.जाफरी	01.02.2001	18.06.2006
44	श्री एच.एन. मीणा, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे)	25.02.2002	19.09.2006
45	श्री सी.आर. चौधरी (अध्यक्ष भी रहे)	27.02.2002	23.02.2008
46	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25.08.2003	06.02.2008
47	श्री एच.एल. मीणा	18.04.2008	31.01.2012
48	श्री शिव पाल सिंह नांगल	18.04.2008	13.11.2013 (इस्तीफा)
49	श्री कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	18.04.2008	17.04.2014
50	श्री पी.के. दशोरा	04.07.2008	03.07.2014
51	श्री ब्रह्म सिंह गुर्जर	04.07.2008	03.07.2014
52	श्री एच.के.गौरन, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (अध्यक्ष भी रहे) (कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे)	04.07.2008	03.07.2014

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

53	श्रीमती दिव्या सिंह (पूर्व सांसद)	30.11.2011	30.09.2012 (इस्तीफा)
54	श्री हरि किशन खिचर, आरएचजेएस	30.01.2016	05.03.2017
55	श्री श्याम सुंदर शर्मा	30.01.2016	10.07.2017 (इस्तीफा)
56	डॉ. आर.डी. सैनी	18.06.2013	12.04.2019
57	श्री एस.एल. मीना	18.06.2013	17.06.2019
58	डॉ. के.आर. बगरिया	18.06.2013	17.06.2019

- **7 सदस्यों का प्रावधान** – 2011 से, (1948–2, 1968–3, 1973–4, 1981–5
- **प्रथम अध्यक्ष –** एस.के. घोष (मुख्य न्यायाधीश)
- **अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति –** एन.के. बैरवा
- **प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष –** एस.सी. त्रिपाठी
- **सर्वाधिक कार्यकाल** – डी.एस. तिवाड़ी (अध्यक्ष के रूप में), जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष थे, जयपुर राज्य के प्रथम शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री थे।, यूआईटी चैयरमेन थे)
- **प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष –** श्री एल.एल. जोशी
- **न्यूनतम कार्यकाल** –पीएस यादव (37 दिन) (अध्यक्ष के रूप में)
- **आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे है–** सी.आर. चौधरी
- **आयोग के सदस्यजो लोकसभा सदस्य रहे है–** धुलेश्वर मीणा, दिव्या सिंह
- **आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे है–** सांवलदान उज्जवल
- **आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे है–** एन.एल. जैन
- **आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है–** श्रीमती कमला भील
- **प्रथम सचिव** – श्री श्यामसुन्दर शर्मा

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300124518, 7610010054

- **प्रथम महिला सचिव –** श्रीमती ऑटिमा बोरड़िया, रोली सिंह, मुक्धा सिन्हा (कार्यवाहक), रेणू जयपाल, शुभम चौधरी
- **वर्तमान सचिव –** हरजी लाल अटल
- भारतीय प्रशासनिक सेवा से आयोग के अध्यक्ष – श्री एल.एल. जोशी, (कार्यवाहक), डॉ बी. एल. रावत, श्री राम सिंह चौहान, श्री जे.एम. खान, श्री यतींद्र सिंह, श्री हनुमान प्रसाद, श्री एन. के. बेरवा, डॉ. एल के पंवार, श्री दीपक उप्रेती, सी आर चौधरी
- भारतीय पुलिस सेवा से आयोग के अध्यक्ष – श्री पी.एस. यादव, श्री देवेंद्र सिंह, श्री एच. एन. मीणा, (कार्यवाहक), श्री महेंद्रलाल कुमावत (हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति के अध्यक्ष एवं राजस्थान पुलिस विश्ववि4ालय के उप–कुलपति रहे है।) डॉ हबीब खान गौरन, डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव
- **आयोग में पूर्व महिला सदस्य**
- श्रीमती कांता खतूरिया – पूर्व विधायक, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष, यूपीएससी सदस्य
- श्रीमती कमला भील – पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
- डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा – यूपीएससी सदस्य
- श्रीमती दिव्या सिंह – कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व इस्तीफा दिया।
- आयोग में वर्तमान महिला सदस्य – 1. श्रीमती संगीता आर्या 2. श्रीमती मंजु शर्मा
- कार्यकाल के पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य – 1. श्रीमती कान्ता खतूरिया
- 2. श्री शिवपाल सिंह नांगल 3. श्रीमती दिव्या सिंह
- 4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा
- विधानसभा मुख्य सचेतक सदस्य के रूप में – 1. श्री ओपी गुप्ता
- कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य – 1. कांता खतूरिया 2. शिवपाल सिंह नागल 3. दिव्य सिंह 4. एस.एस. शर्मा
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा। सीआर चौधरी अकेले सदस्य व अध्यक्ष भी रहे।
- आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल भी रहे – रघुकुल तिलक
- आयोग के सदस्य जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे – के.एल. कमल

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

राजस्थान उच्च न्यायालय

❖ **मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ लेने वाले 11 न्यायमूर्ति एवं उनके गृह जिले –**

नाम	जिला
न्यायमूर्ति नवलकिशोर	जोधपुर
न्यायमूर्ति अमर सिंह	जोधपुर
न्यायमूर्ति के.एल. बापना(कुंवर लाल बापना)	जयपुर
न्यायमूर्ति इब्राहीम	जयपुर
न्यायमूर्ति जे.एस.राणावत(जवान सिंह राणावत)	उदयपुर
न्यायमूर्ति शार्दुलसिंह मेहता	उदयपुर
न्यायमूर्ति डीएस दवे(दुर्गा शंकर दवे)	बून्दी
न्यायमूर्ति त्रिलोचनदत	बीकानेर
न्यायमूर्ति आनन्द नारायण कोल	अलवर
न्यायमूर्ति के.के. शर्मा	भरतपुर
न्यायमूर्ति खेमचन्द गुप्ता	कोटा

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1.	न्यायमूर्ति के. के. वर्मा	29.08.1949 से 24.01.1950
2.	न्यायमूर्ति कैलाश वांचू	02.01.1951 से 10.08.1958
3.	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28.02.1959 से 10.10.1961
4.	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11.10.1961 से 31.05.1963
5.	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01.06.1963 से 17.12.1968
6.	न्यायमूर्ति डी. एम. भंडारी	18.12.1968 से 15.12.1969

7.	न्यायमर्ति जे. नारायण	16.12.1669 से 13.02.1973
8.	न्यायमूर्ति बी. पी. बेरी	14.02.1973 से 16.02.1975
9.	न्यायमूर्ति पी. एन. सिं'ाल	17.02.1975 से 05.11.1975
10.	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06.11.1975 से 27.12.1977
11.	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27.04.1978 से 22.09.1978
12.	न्यायमूर्ति सी. एम. लोढ़ा	12.03.1979 से 09.07.1980
13.	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07.01.1981 से 22.10.1983
14.	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23.10.1983 से 30.09.1985
15.	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12.04.1986 से 31.07.1986
16.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा	01.09.1986 से 22.05.1989
17.	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल	15.04.1990 से 07.07.1994
18.	न्यायमूर्ति जी. सी. मि ाल	12.07.1994 से 03.03.1995
19.	न्यायमूर्ति ए. पी. रावानी	04.04.1995 से 10.09.1996
20.	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी	19.09.1996 से 24.12.1997
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22.01.1999 से 14.03.2000
22.	डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन	29.05.2000 से 25.11.2001
23.	न्यायमूर्ति अरूण कुमार	02.12.2001 से 02.10.2002
24.	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24.12.2002 से 22.10.2004
25.	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12.10.2005 से 15.06.2007
26.	न्यायमूर्ति जे. एन. पांचाल	16.06.2007 से 11.11.2007
27.	न्यायमूर्ति नारायण राव	05.01.2008 से 31.01.2009
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06.03.2009 से 10.05.2009
29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10.8.2009 से 31.10.2010

THE NOTES HUB

30.	न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा	26.11.2010 से 31.12.2012
31.	न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय	02.01.2013 से 05.08.2014
32.	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24.03.2015 से 21.08.2015
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मि ल	05.03.2016 से 14.04.2016
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14.05.2016 से 17.02.2017
35.	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग	02.04.2017 से 06.04.2019
36.	न्यायमूर्ति श्रीपति रविन्द्र भट्ट	05.05.2019 से 22.09.2019
37.	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महान्ती	06.10.2019 से 11.10.2021
38.	न्यायमूर्ति अकील कुरैशी	12.10.2021 से 06.03.2022
39.	न्यायमूर्ति शंभाजी शिवाजी शिंदे	25.06.2022 से 13.10.2022
40.	न्यायमूर्ति पंकज मित्तल	14.10.2022 से 05.02.2023
41.	ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह	30.05.2023 से वर्तमान

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बने –

क्र.स	नाम	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वाचू	भारत के 10 वें मुख्य न्यायाधीश रहे। (स्वतंत्रता सेनानी, यह वकील नहीं थे ICS थे, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाले पहले विधि आयोग के सदस्य थे
2.	न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल	–
3.	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा	भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। विशाखा गाइडलाइन जारी की। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया। • दो बार राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी काम किया।
4.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	कर्नाटक के लोकायुक्त रहे, NHRC के चैयरमेन रहे व सदस्य भी रहे।
5.	न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अरुण कुमार	
6.	न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मण	
7.	न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल	
8.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	
9.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	सबसे युवा चैयरमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला न्यूज लैटर शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के म्यूजियम का उद्घाटन किया।
10.	न्यायमूर्ति अमिताभ राय	
11.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	
12.	न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट	
13.	न्यायमूर्ति पंकज मित्तल	

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610100054

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे या है –

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	न्यायमूर्ति ए.पी. सैन	2.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)
3.	न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल	4.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)
5.	न्यायमूर्ति पी.पी. नालेकर	6.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)
7.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)	8.	न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान
9.	न्यायमूर्ति जी.एस. मिश्रा (महिला)	10.	न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे
11.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (वर्तमान) (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)	12.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (वर्तमान) (दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश भी रहे)
13.	न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी		

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available 7014334518, 7610010054

❖ **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–**

- **वे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे –**
  1. न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू (जयपुर राज्य में मंत्री भी रहे व जयपुर से लोकसभा सदस्य भी रहे।)
  2. न्यायमूर्ति दौलत मल भण्डारी (1942 में जयपुर में आजाद मोर्चा भी बनाया था।)
- राजस्थान के वह मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं रामट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे –**न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (निर्भया प्रकरण (2012) के पश्चात बनी समिति के अध्यक्ष)**
- राजस्थान के वह मुख्य न्यायाधीश जो विधि आयोग के अध्यक्ष रहे है –**न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन**
- राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए सभी सिनेमा'रों में रामट्रगान को अनिवार्य किया – **न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय**
- मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल –**न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू (7 साल)**

❖भारत में 25 में से 8 उच्च न्यायालय हैं जिनकी एक या एक से अधिक खण्डपीठ (बैंच) है:–

क्र.स.	उच्च न्यायालय	मुख्यपीठ	खण्डपीठ
1	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	गुवाहाटी	कोहिमा, ईटानगर, आइजोल
2	मुम्बई उच्च न्यायालय	मुम्बई	नगपुर, औरंगाबाद, पणजी
3	कर्नाटक उच्च न्यायालय	बेंगलुरु	धारवाड़, गुलबर्ग
4	मद्रास उच्च न्यायालय	मद्रास	मदुरेई
5	कलकत्ता उच्च न्यायालय	कलकत्ता	जलपाईगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर
6	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	जबलपुर	ग्वालियर, इंदौर
7	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	इलाहाबाद	लखनऊ
8	राजस्थान उच्च न्यायालय	जोधपुर	जयपुर

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

❖ गठन से लेकर वर्तमान तक के आयुक्तों का विवरण

क्र.स.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल
1.	अमर सिंह राठौड़	1 जुलाई, 1994 से 1 जुलाई, 2000 तक
2.	एन.आर. भसीन	2 जुलाई, 2000 से 2 जुलाई, 2002 तक
3.	इन्द्रजीत खन्ना	26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007
4.	अशोक कुमार पाण्डे	1 अक्टूम्बर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013
5.	राम लुभाया	1 अक्टूम्बर, 2013 से 2 अप्रैल, 2017
6.	प्रेमसिंह मेहरा	3 जुलाई, 2017 से 3 जुलाई, 2022
7.	मधुकर गुप्ता	14 अगस्त, 2022 से लगातार

महत्वपूर्ण तथ्य :– राजस्थान के प्रथम व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त के समय कार्यकाल 6/62 वर्ष था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इसे 5/65 वर्ष किया जाए। सरकार ने स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त के समय से इसे प्रभावी बना दिया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

क्र. सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेमा विवरण
1.	न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर	23.03.2000	11.08.2000	मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश
2.	न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद	16.02.2001	03.06.2004	उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
3.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	16.07.2005	15.07.2010	राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
4.	न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया	11.03.2016	25.11.2019	राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
5.	न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास	जनवरी, 2021		राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

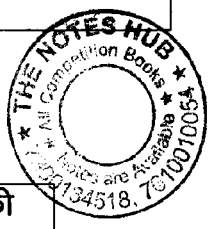

सदस्य

क्रमांक	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि
1.	न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	07.07.2000	06.07.2005
2.	श्री आर.के. अकोदिया	25.03.2000	24.03.2005
3.	श्री बी.एल. जोशी	25.03.2000	31.03.2004
4.	प्रो. आलमशाह खान	24.03.2000	16.05.2003
5.	श्री नमोनारायण मीणा	11.09.2003	23.03.2004
6.	श्री धर्म सिंह मीणा	07.07.2005	06.07.2010
7.	न्यायमूर्ति जगत सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	10.10.2005	09.10.2010
8.	श्री पुखराज सेरवी	15.04.2004	13.04.2011
9.	श्रीएच.आर. कुरी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	01.09.2011	31.08.2016
10.	डॉ. एम.के. देवराजन	01.09.2011	31.08.2016
11.	न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	03.10.2018	29.04.2021
12.	श्री महेश गोयल	25.01.2021	–

❖ **महत्वपूर्ण तथ्य –**

- प्रथम अध्यक्ष – कान्ता भट्नागर
- वर्तमान अध्यक्ष – जी.के. व्यास
- वर्तमान सदस्य – 1. महेश गोयल (आईपीएस) 2. पद रिक्त।
- अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – कान्ता भट्नागर
- पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे है – नमोनारायण मीणा
- सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – पुखराज सीरवी (7 वर्ष)
- सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – नमोनारायण मीणा (1 वर्ष)

मुख्य सचिव

- **प्रथम नियुक्ति –** 13 अप्रैल, 1949, के. राधाकृष्णन
- **सर्वाधिक कार्यकाल–** श्री भगवंत सिंह मेहता
- विपिन्न बिहारी लाल माथुर 4 मुख्यमंत्रियों क़े कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे।
  1. श्री हरिदेव जोशी
  2. श्री शिवचरण माथुर
  3. श्री हरिदेव जोशी
  4. श्री शिवचरण माथुर

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

- **न्यूनतम कार्यकाल –**
  1. राजीव स्वरूप (122 दिन)
  2. निहालचंद गोयल (123 दिन)
- प्रथम राजस्थानी व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने – भगवंत सिंह मेहता
- अनुसूचित जनजाति से प्रथम मुख्य सचिव– ओम प्रकाश मीणा
- अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्य सचिव– निरंजन आर्य
- प्रथम महिला मुख्य सचिव– श्रीमती कुशल सिंह

राजस्थान के महाधिवक्ता

1. जी.सी. कासलीवाल
2. लक्ष्मीमल सिंघवी (लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे, हाई– कमीश्नर यू.के में, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित)
3. एस.के. तिवारी
4. पी.के. रस्तोगी
5. एस.के. तिवारी
6. ए.के. माथुर (कार्यवाहक)
7. एन.एल. जैन
8. डी.सी. स्वामी
9. एम.आर. काला
10. बी.पी. अग्रवाल
11. एस. एम. मेहता
12. बी.पी. अग्रवाल
13. एस.एम. मेहता
14. बी.पी. अग्रवाल
15. एन.एम. लोढ़ा
16. जी.एस. बाफना
17. एन.एम. लोढ़ा
18. एम.एस. सिंघवी

THE NOTES HUB All Competition Books & Notes are Available 7014134018, 7710010054

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएँ–

धारा	प्रावधान
15	संरचना
16	कार्यकाल
17	हटाने की प्रक्रिया
18,19,20,25	शक्तियाँ
19	अपील (प्रथम व द्वितीय अपील) अपील दो प्रतियों में दी जाती है।
19(1)	प्रथम अपील अधिकारी
19(3)	द्वितीय अपील अधिकारी
19(7)	राज्य सूचना आयोग के आदेश बाध्यकारी होगे
19(8)	अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लोकप्राधिकरणों को आदेश
25(1)	अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण
6(1)	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610010054

महत्वपूर्ण तथ्य –

- सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा सूचना का अधिकार कानून – 1766
- सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य – तमिलनाडु (1996)
- राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून – 2000 (अरूणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका)
- भारत में सूचना अधिकार की प्रणेता, ब्यावर (अजमेर) से आंदोलन शुरु किया।
- 26 जनवरी 2001 से राजस्थान में लागू हुआ। नया अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ।

- **प्रथम अध्यक्ष** – एम. डी. कोरानी
- **पूर्व अन्य अध्यक्ष क्रमशः–**

  1.एम.डी. कौरानी (अप्रैल 2006 – अप्रैल 2011)

  2. टी. श्रीनिवासन (सितम्बर 2011 – अगस्त 2015)

  3. सुरेश चौधरी (नवम्बर 2015– दिसम्बर 2018)

- **वर्तमान अध्यक्ष –** श्री डी. बी. गुप्ता (दिसम्बर, 2020 से)
- **वर्तमान सदस्य** – राजेन्द्र प्रसाद बरवड(03.10.2018 से), लक्ष्मण सिंह राठौड(04.10.2018 से), , शीतल धनखड़(11.12.2020से) , मोहन लाल लाठर
- टी. श्रीनिवासन सदस्य व अध्यक्ष दोनों रहे।
- **आयोग के सदस्य रहे–** टी. श्रीनिवासन, पी.एल. अग्रवाल, चंद्र मोहन मीणा, आंशुतोष शर्मा

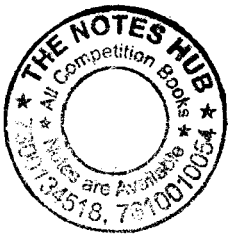

राजस्थान के लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय	28.08.1973 से 27.08.1978
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978 से 05.08.1979
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979 से 07.08.1982
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984 से 03.01.1985
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985 से 03.01.1990
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990 से 06.03.1990
7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990 से 30.09.1993
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यूनतम कार्यकाल)	24.01.1994से 16. 02.1994
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994 से 06.07.1999
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999 से 26.11.2004
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007 से 30.04.2012

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518, 7610010034

12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013 से 07.03.2019
13.	न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय	09.03.2021 से निरंतर
उपलोकायुक्त		
1.	श्री के.पी.यू. मैनन आईएएस, पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973 से 25.06.1974
राज्य सतर्कता आयुक्त को उपलोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता था। **उप लोकायुक्त को सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने की योग्यताएं होनी चाहिए।**		

❖ महत्वपूर्ण तथ्य –

- न्यायालय में प्रथम लोकायुक्त –आई.डी. दुआ
- प्रथम उप–लोकायुक्त –के.पी.यू. मेनन (पूर्व मुख्यसचिव)
- न्यूनतम कार्यकाल –विनोद शंकर दवे (26 दिन)
- सर्वाधिक कार्यकाल –एम.बी. शर्मा
- अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो न्यायालय में लोकायुक्त पद पर रहे –
  - एम.एल. श्रीमाल (सिक्किम उच्च न्यायालय)
  - मिलाप चन्द जैन (दिल्ली उच्च न्यायालय)
- सर्वोच्च न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –आई. डी. दुआ
- न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –डी.पी. गुप्ता
- वर्तमान लोकायुक्त –पी.के. (प्रताप कृष्ण) लोहरा
- न्यायालय में 2014 में लोकायुक्त संस्थान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नरपतमल लोढ़ा समिति का गठन किया गया।
- लोकायुक्त को 5 वर्ष से पुराने मामलो में शिकायत नहीं की जा सकती है।
- लोकायुक्त स्वयं कार्यवाही करने में असक्षम है क्योंकि यह केवल सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती
- केन्द्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम –2013 लागू किया गया।
- प्रथम लोकपाल –श्री पीसी घोष
- सर्वप्रथम लोकपाल नाम –एल.एम. सिंघवी द्वारा सुझाया गया।

लोक नीति

- **लोक नीति :—** लोक नीति अथवा 'सार्वजनिक नीति' वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। लोक प्रशासन, लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गयी गतिविधियों का योग है।

→ 1960 के दशक में सार्वजनिक नीति को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के एक उपक्षेत्र के नाते मान्यता मिली।

- **सार्वजनिक नीति की प्रकृति :—**

→ सार्वजनिक नीतियां किसी राजनीतिक प्रणाली का समग्र चित्रण करती है।

→ सार्वजनिक नीति अपनी गतिविधियों के बड़े हिस्से में उनको शामिल करती है जो विकास नीति से सुसंगत होती है।

- **लोकनीति की अवस्थाएँ :—**

(i) **नीति निरूपण :—** लोक नीति प्रक्रिया में पहली अवस्था नीति - निरूपण है सार्वजनिक क्रियाकलापों का प्रस्तावित अनुक्रम है जो सार्वजनिक मांगों एवं समस्याओं पर विचार करता है।

(ii) नीति व्याख्या :— नीति-निरूपण का कार्य पूरा होने के साथ ही नीति में तकनीकी शब्द व वाक्यांश सम्मिलित हो जाते हैं।

(iii) नीति शिक्षा :— यह नीति सरकार, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से अपने द्वारा बनाई नीति के बारे में जनसामान्य को अवगत कराने का प्रयास करती है।

(iv) नीति क्रियान्वयन :— नीति के निरूपण व व्याख्या करने के पश्चात् व जन साधारण को इसके बारे में शिक्षित करने के पश्चात् अगली अवस्था नीति को क्रियान्वित करने की होती है।

(v) नीति नियन्त्रण :— नीति प्रक्रिया की अंतिम अवस्था विभिन्न कर्ताओं व अभिकरणों के द्वारा निरूपित एवं क्रियान्वित की गई सार्वजनिक नीतियों पर नियंत्रण की होती है।

- लोक-नीति के उद्देश्य :—

→ लोक तांत्रिक व्यवस्था में सरकार सम्पूर्ण समाज के प्रतिबिम्ब के सिवाय कुछ भी नहीं है। सरकार के पास प्रशासन के अनेक क्षेत्र, यथा- शिक्षा, प्रतिरक्षा, बिल आदि होते है।

Note:— प्रत्येक क्षेत्र के लिए या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए सरकार नीतियों का निरूपण करती है जिन्हें सामान्यता लोक नीति से जाना जाता है।

(i) दीर्घावधि उद्देश्य :— यदि नीति दीर्घावधि है तो उद्देश्य भी उसी हिसाब से निर्धारित होगा।

उदाहरण :— प्रतिरक्षा संबंधी नीति में दीर्घावधि उद्देश्य ध्यान में रखे जायेंगे

→ ये दीर्घावधि उद्देश्य उत्कृष्ट भरती, उपयुक्त प्रशिक्षण, उचित व्यवस्था आदि होते है।

(ii) लघु अवधि उद्देश्य :— कुछ समस्याएँ संयोगवश उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के मामलों में नीतियों का निरूपण लघु अवधि के उद्देश्यों के साथ किया जाता है।

उदाहरण :— युद्ध के समय ब्लैक आउट का आदेश दिया जाता है और सीमा क्षेत्रों में नजदीक के गाँवों से लोगों को हटाया जाता है

Note:— यदि कहीं हिंसा भड़क उठती है तो पुलिस, लघुअवधि के उद्देश्यों के आधार पर वहाँ विधि एवं न्याय व्यवस्था की पुनर्स्थापना करती है।

- **लोक नीति के अध्ययन का महत्व :—**

→ लोक नीति की समग्र समझ के लिए, लोक नीति परिदृश्यों एवं पर्यावरणीय शक्तियों के मध्य के संयोजन का विश्लेषण किया जाना चाहिए। आधुनिक विश्व में, लोक नीतियाँ मानव जाति की नियति का निर्धारण करती है।

राजस्थान में दल प्रणाली

- वर्तमान में राजस्थान में दो दलीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी है।
- किन्तु समय - समय पर अन्य दलों ने भी राजस्थान विधान-सभा चुनावों में भाग लिया किन्तु राज्य में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय दल की स्थापना नहीं हो पायी।
- इसके कारण है —
  - → राजनीतिक विचारधारा का अभाव।
  - → प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव।
  - → इन दलों का आन्दोलन क्षेत्र व जाति विशेष तक सीमित रहता है।
  - → इनके पास समग्र जनमानस को प्रभावित करने वाले मुद्दों का अभाव रहता है।
  - → राज्य में सदैव दो राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व रहा है।
  - → जनहित के मुद्दों को उठाने में ये दल विफल रहे हैं।
  - → इनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है।

THE NOTES HUB ★ Books ★ All Competition Notes are Available ★ 7300763513, 7891001005

राजनीतिक जनांकिकी

- जनसंख्या में परिवर्तन एवं राजनीतिक अन्तर्सम्बंध के अध्ययन

को राजनीतिक जनांकिकी कहते है।

- राजस्थान में 44.2% मतदाता साक्षर है, जबकि शेष 55.8% निरक्षर है। वही शहरी 24.9% मतदाता है और 75.1% ग्रामीण मतदाता है। 25% मतदाता 18-24 वर्ष की आयु है जबकि 40% मतदाता की आयु 35-55 वर्ष के बीच है लेकिन राजस्थान की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक है जाति।

- इसके अंतर्गत मतदाताओं की पसंद, प्राथमिकताओं व विकल्पों के चयन पर धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, शिक्षा तथा विचारधाराओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

⇒ <u>राजस्थान में राजनैतिक जनांकिकी को प्रभावित करने वाले कारक</u> :-

- प्रजामण्डल आंदोलन।
- राजा एवं सामंतों का प्रभाव।
- ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या।
- क्षेत्रवाद की राजनीति।
- ST/SC व महिलाओं का प्रभाव।
- जातिय आधारित राजनीति।

THE NOTES HUB

राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण

⇒ **राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारक :—**

- प्रजामण्डल
- कांग्रेस का प्रभाव
- जाति
- क्षेत्रवाद
- गाँव, किसान और ग्रामीण जनसंख्या
- मंडल कमीशन
- एस सी / एस टी
- महिला एवं युवा
- सोशल इंजीनियरिंग
- मुस्लिम एवं दलित जातियां

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7301344518, 7610910054

फेज — 1

⇒ **प्रारम्भिक राजनीतिक चेतना का विकास (मूल्यांकन) :—**

- प्रजा मण्डल आंदोलन
- राजाओं द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण
- राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास प्रजामण्डल आंदोलनों से शुरू हुआ।
- जन प्रतिनिधित्व न होने के कारण वे सफल नहीं हो पाईं।
- बीकानेर महाराजा गंगासिंह ने वर्ष 1913 ई. में बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी।
- कालान्तर में टोंक, उदयपुर व जयपुर में भी ऐसे ही प्रयास किए गए।
- 1945 ई. में जयपुर में दो सदनीय विधान मण्डल बनाया गया था।

- राजस्थान में पहली उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई थी।
- गोकुललाल असावा इसके प्रधान मंत्री थे।
- आजादी के बाद जहाँ विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का एकछत्र राज रहा लेकिन राजस्थान में आजादी के पहले कांग्रेस की अनुपस्थिति तथा सामंतों की राजस्थान में पकड़ के कारण ऐसा नहीं हो पाया।
- सामंतों ने गैर कांग्रेसी पार्टियों को अपना समर्थन दिया, जिनमें भा. जनसंघ तथा रामराज्य परिषद् प्रमुख थे।
- विपक्ष के विभाजित होने के कारण शुरुआती 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही।
- वर्ष 1967 में चुनावों में विपक्ष एक साथ आने से कांग्रेस हेतु खतरा उत्पन्न हुआ तथा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
- वर्ष 1977 में जनता पार्टी की लहर के कारण भैरो सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेस C.M. बने।
- इसके बाद 90 के दशक में राज्य की राजनीति में संक्रमण काल रहा तथा कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया।
- लेकिन 20वीं शताब्दी के आने से लेकर अब तक राज्य में दो दलीय प्रणाली स्थापित हो चुकी है जिनमें कांग्रेस तथा प्रमुख है।
- राज्य की राजनीति को जहाँ सामन्तों ने प्रभावित किया।
- कांग्रेसों के द्वारा किए गए भूमि सुधार तथा अन्य सामाजिक सुधारों के कारण सामन्त वर्ग कांग्रेस के खिलाफ रहा।
- राज्य की विभिन्न किसान जातियों ने कांग्रेस का साथ दिया। उदाहरण — जाट, वैष्णव, सिरवी, गुर्जर।
- मण्डल कमीशन की सिफारिशों से जब OBC को आरक्षण दिया

गया, तो OBC के रूप एक सशक्त वोट बैंक उभरकर सामने आया, जिस वजह से कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ।

- राज्य की राजनीति में जाति भी एक प्रमुख भूमिका निभाती रही है।
- न केवल जाति के आधार पर वोट दिये जाते हैं, बल्कि पार्टी द्वारा उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर किया जाता है।
- यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों संख्या भी जाति के आधार पर तय की जाती है।
- राज्य की राजनीतिक में क्षेत्रवाद ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई।
- विभिन्न क्षेत्रों के बड़े प्रभावशाली नेताओं के कारण वोट बैंक भी इधर-उधर होता रहा।
- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जब जयपुर से समाप्त की गई थी, तो राज्य की राजनीतिक साफ-साफ जयपुर व जोधपुर गुटों में बँट गई थी।
- राज्य की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था। इसलिए गाँवों की राजनीति ने भी राज्य की राजनीति को प्रभावित किया।
- चूँकि किसान जातियाँ प्रारम्भ में कांग्रेस से जुड़ी हुई थी इसलिए शुरुआती दौर में कांग्रेस अपनी सरकारें बनाने में सफल रही।
- इसी कारण शुरुआती दौर में सरकार की नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केन्द्रित रही।

उदाहरण —— कृषि पर अधिक ध्यान, जागीरदारी उन्मूलन, राज्य में सुधान कृषि।

- ST/SC भी प्रारम्भिक दौर में कांग्रेस के साथ रहे लेकिन उनमें राजनैतिक चेतना का विस्वास नहीं हो पाया।

- अतः कभी भी उनमें से कोई भी बड़ा नेतृत्व उभरकर सामने आया।
- जगन्नाथ पहाड़िया पहले SC के CM थे।
- वर्तमान राजनीति महिलाओं व युवाओं द्वारा भी प्रभावित की जाती है।
- राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के कारण महिलाओं का झुकाव भी भाजपा की तरफ हुआ।
- इसलिए वर्तमान में विभिन्न सरकारों द्वारा युवाओं तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती है।
- राज्य की राजनीति में अलग-अलग समय में सोशल इंजिनियरिंग जुड़ी योजनाएँ बनाई जाती है।

⇒ <u>उदाहरण</u> —— (i) 4th विधान सभा में चौधरी चरण सिंह द्वारा "अजगर फॉर्मूला" से राज्य के वोटों को प्रभावित किया।

(ii) वर्ष 2003 में चुनावों के समय वसुन्धरा राजे द्वारा विभिन्न जातियों के साथ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बंध बताकर वोटों को भाजपा के पक्ष में जोड़ा गया।

THE NOTES HUB

- मुस्लिम तथा दलित जातियों का झुकाव कांग्रेस के पक्ष में बना रहा लेकिन अब राजनीतिक चेतना के विकास के कारण यह एक प्रमुख दबाव समूह के रूप में कार्य करते है।
- आजादी के बाद राज्य एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री व जयनारायण व्यास CM के दावेदार थे।

- लेकिन वल्लभ भाई पटेल के समर्थन के कारण - हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले मनोनित CM बने।
- व्यास गुट द्वारा निरन्तर विरोध के कारण हीरालाल शास्त्री को हटाकर C.S. वेंकटाचारी (I.C.S. अधिकारी) को मनोनीत CM बनाया गया।
- थोड़े दिनों बाद वेंकटाचारी को हटाकर जयनारायण व्यास को CM बनाया गया।

Notes

Notes

Notes

Notes